कार्यक्रम निर्देशिका

सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों

के लिए

प्रारंभिक शिक्षा में द्वि-वर्षीय डिप्लोमा

(डी.एल.एड.)

2012

शैक्षिक विभाग

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

A-24/25 सांस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर-62, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र.-201309

वेबसाइट : www.nios.ac.in

अधिगम समर्थन केंद्र टोल फ्री नं. 18001809363, ईमेल : isc@nios.ac.in

राष्ट्रीय प्रणाली और CBSE/CISCE द्वारा समर्थित

भारत सरकार की एक परीक्षा समिति

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	1
2.	कार्यक्रम के उद्देश्य	2
3.	लक्ष्य समूह एवं योग्यता की शर्ते	2
4.	अवधि	2
5.	कार्यक्रम संरचना	2
6.	पाठ्यक्रम संरचना	6
7.	विस्तृत इकाई संरचना	12
8.	पाठ्यक्रम की तैयारी	56
9.	क्रेडिट प्रणाली	56
10.	समर्थन प्रणाली	56
11.	कार्यक्रम के वितरण की रणनीति	57
12.	मुद्रित सामग्री	57
13.	शैक्षिणिक सत्र	57
14.	प्रायोगिक कार्य का आयोजन	58
15.	सत्रीय कार्य	59
16.	कार्यक्रम शुल्क	61
17.	अधिगमकर्ता का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण	61
18.	उत्तरपुस्तिका का पुनः परीक्षण एवं पुर्नमूल्यांकन	66
19.	परीक्षा में पुनः उपस्थिति	66
20.	अध्ययन केन्द्रों की सूची	67
21.	परिशिष्ट	

(i) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम, कार्यशाला एवं शिक्षण अभ्यास की सूची

(ii) पाठ्यक्रम आधारित सत्रीय कार्य प्रस्तुत करने की सूची

(iii) परीक्षा प्रपत्र (प्रथम वर्ष)

(iv) परीक्षा प्रपत्र (द्वितीय वर्ष)

(v) आवेदन प्रपत्र और साक्ष्यांकन के नियम (पुनःपरीक्षण)

(vi) आवेदन प्रपत्र और अंकों के पुर्नमूल्यांकन के नियम

1. परिचय

शिक्षक की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए अध्यापक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। अप्रशिक्षित शिक्षक एक शिक्षक के बहुत से गुणों को साकार करने की जागरूकता से वंचित रह जाते हैं। अध्यापन एक पेशा है, जिसमें एक अधिगमकर्त्ता में प्रारूपिक अनुभूति और गुणों को सजाने के कौशल का विकास अपेक्षित है।

सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को अपेक्षित योग्यता की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु, ऐसे शिक्षकों के लिए जिन्होंने चयन से पूर्व किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, सर्व शिक्षा अभियान 60 दिनों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। किन्तु यह प्रशिक्षण NCTE द्वारा निर्धारित अपेक्षित प्रशिक्षण योग्यता के समकक्ष नहीं माना जा सकता। तथापि बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है, की अधिसूचना के बाद यह अनिवार्य कर दिया गया कि सभी शिक्षक जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते है, यदि प्रशिक्षित नहीं है तो उन्हें 5 वर्ष के अंदर अपेक्षित प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करनी होगी।

अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या इतनी अधिक है कि यह संभव नहीं हो सकता कि उन सबको औपचारिक तंत्र के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सके। इस अति विशाल कार्य को पूर्ण करने के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में 'मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली' जैसे वैकल्पिक रणनीति पर विचार किया जा सकता है।

इस पृष्ठभूमि के साथ यह निर्णय लिया जा चुका है कि प्राथमिक विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को विकसित एवं लागू किया जाये।

अंत: सेवी अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए संपूर्ण प्रशिक्षण रणनीति आवश्यक है जो कि निम्न आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है :

(i) सभी बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण एवं अवरोध मुक्त शिक्षा को प्रोत्साहन देना।

(ii) बाल-केंद्रित शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया को प्रोत्साहन जिसमें अनुभवजन्य अधिगम, पर्यपेक्षण, जांच, अन्वेषण आदि के लिए अत्यधिक क्रियाकलाप हो।

(iii) विभिन्न विषयों में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 पर आधारित और हमारे सभी योजनाओं का मार्गदर्शन करना। ये पांच प्रमुख मार्ग दर्शक निम्न सिद्धांतों के इर्द-गिर्द केंद्रित है :

- विद्यालय से इतर ज्ञान को जीवन से जोड़ना।
- सुनिश्चित करना कि अधिगम परंपरागत तरीके से हटकर हो।
- पाठ्यचर्या को इतना समृद्ध करना कि वो पाठ्य-पुस्तक से इतर हो।
- परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना एवं उन्हें कक्षा-जीवन के साथ एकीकृत करना।
- भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जिम्मेवार द्वारा सूचित एक अधिभावी पहचान को पोषित करना।

(iv) सतत मूल्यांकन प्रणाली के लिए अंतर्निहित प्रक्रिया के साथ भय रहित मूल्यांकन प्रणाली को प्रोत्साहन। शिक्षक तैयारी के लिए आवश्यक है कि सतत् एवं समग्र मूल्यांकन को अधिगम के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखें।

(v) शिक्षा का अधिकार कानून 2009, शारीरिक दण्ड एवं शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत शिक्षण पर प्रतिबंध लगाता है।

तदनुसार शिक्षक तैयारी की योजना भी बच्चों के लिए कक्षा को अधिक मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए रास्ता एवं साधन उपलब्ध करायेगी। ताकि बच्चा अच्छी तरह सीख सके जैसा कि कानून चाहता है।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य

कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

- संदर्भ की विविधता को संबोधित करने एवं समझने में शिक्षक को समर्थ बनाना।
- कक्षा संपादन की गुणवत्ता सुधारने के लिए उन्हें समर्थ बनाना।
- विद्यालय में मैत्रीपूर्ण वातावरण एवं बाल केंद्रित प्रक्रिया के प्रोत्साहन के लिए शिक्षक की क्षमता का विस्तार करना।
- उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ निकटता स्थापित करना।
- समस्त बच्चों में नेतृत्व व समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए उनको निपुण बनाना।
- बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की दिशा में योगदान के लिए उनको सुग्राही बनाना।

3. लक्ष्य समूह एवं योग्यता की शर्तें

इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्राथमिक स्तर पर कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक जिनके पास कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष योग्यता। स्नातक योग्यता वांछनीय होगी। राज्य द्वारा प्रत्याभूति अनिवार्य है।

4. अवधि

इस कार्यक्रम की अवधि कम से कम 2 वर्ष है। तथापि इस कार्यक्रम के लिए अधिगमकर्ता का नामांकन 3 वर्षों के लिए वैध होगा।

5. कार्यक्रम संरचना

आधारभूत सिद्धांत जिस पर यह कार्यक्रम संरचित है :

एक शिक्षक से प्राथमिक स्तर पर कार्य निष्पादन अपेक्षित है, कक्षा प्रक्रिया में रोचकता लाये, समुदाय को गतिशील बनाये, विद्यालय के सामूहिक जीवन में भागीदार हो, या विद्यालय के सम्पूर्ण विकास योजना को कार्यान्वित करे। तद्नुसार कार्यक्रम संरचना का विकास निम्नवत प्रस्तुत है :

प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय उपाधि-पत्र के लिए कार्यक्रम संरचना

संख्या	*पाठ्यक्रम और शीर्षक*	*क्रेडिट महत्व*	*प्रायोगिक सिद्धांत*	*टिप्पणियां अनिवार्य पाठ्यक्रम*
1.	समूह- प्रथम (प्रासंगिक मुद्दे)	**18**	**06**	समस्त पाठ्यक्रम
	1 भारत में प्रारंभिक शिक्षा : सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य	03	01	अनिवार्य हैं
	2 सामावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना	06	02	
	3 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रिया			
	4 समुदाय और प्राथमिक शिक्षा	03	01	
2.	समूह द्वितीय (प्रारंभिक/प्राथमिक स्तर पर शिक्षण-अधिगम)	**12**	**04**	समस्त पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं
	1. भाषाएं	03	01	
	2. गणित	03	01	
	3. पर्यावरण अध्ययन	03	01	
	4. कला, स्वास्थ्य और शारीरिक तथा कार्य शिक्षा			
3.	समूह तृतीय (उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण-अधिगम)	**03**	**01**	समूह से एक पाठ्यक्रम चयनित करें
	1. सामाजिक विज्ञान	03	01	
	2. विज्ञान	03	01	
4.	समूह चतुर्थ विद्यालय में प्रशिक्षण के लिए शिक्षा ग्रहण करना	**शून्य**	**20**	सभी पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं कार्यशाला आधारित गतिविधियों के क्रेडिट प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए समान रूप से विभाजित होंगे।
	1. विद्यालय-आधारित गतिविधियां	शून्य	04	
	2. कार्यशाला-आधारित गतिविधियां	शून्य	04	
	3. शिक्षण अभ्यास	शून्य	08	
	योग	**33**	**31**	कार्यक्रम के लिए कुल क्रेडिट अधिभार 64 क्रेडिट पांइट हैं। जबकि समूह तृतीय में एक विकल्प है, पाठ्यक्रमों को कुल 68 क्रेडिट कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का वितरण प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के दौरान निम्न है :

प्रथम वर्ष (32)

मूल पाठ्यक्रम भाग 1 (प्रथम समूह)

पाठ्य कोड	*पाठ्यक्रम और शीर्षक*	*खण्ड*	*क्रेडिट्स* $T + P =$ *योग सैद्धान्तिक+प्रायोगिक*
501	भारत में प्राथमिक शिक्षा : एक सामाजिक-सांस्कृतिक परिपेक्ष्य	3	3 + 1 = 4
502	प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा-शास्त्रीय प्रक्रियायें	4	6 + 2 = 8

शिक्षण विषय (द्वितीय समूह)

503	प्रारंभिक स्तर पर भाषा का अधिगम	3	3 + 1 = 4
504	प्रारंभिक स्तर पर गणित का अधिगम	3	3 + 1 = 4
505	प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण का अधिगम (EVS)	3	3 + 1 = 4

प्रायोगिक पाठ्यक्रम (चतुर्थ समूह)

511	विद्यालय - आधारित गतिविधियां	4
512	कार्यशाला आधारित गतिविधियां	4

द्वितीय वर्ष (32)

मूल पाठ्यक्रम (प्रथम समूह)

पाठ्य कोड	*विषय का शीर्षक*	*खण्ड*	*महत्व योग सिद्धांत प्रायोगिक*
506	समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना	4	6 + 2 = 8
507	समुदाय और प्राथमिक शिक्षा	3	3 + 1 = 4

शिक्षण विषय (द्वितीय समूह)

508	कला, स्वास्थ्य और शारीरिक व कार्यशिक्षा	3	3 + 1 = 4

शिक्षण विषय (तृतीय समूह)

509	उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अधिगम	3	3 + 1 = 4
		अथवा	
510	उच्च प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान का अधिगम	2	3 + 1 = 4

प्रायोगिक विषय
स्कूल में इंटर्नशीप (चतुर्थ समूह)

513	कार्यशाला आधारित गतिविधियां	4
514	शिक्षण अभ्यास	8

6. पाठ्यचर्या संरचना

मूल पाठ्यक्रम (समूह- I & II)

पाठ्य कोड	*पाठ्यक्रम और शीर्षक*	*शीर्षक का भाग*	*इकाईयों का शीर्षक*	*क्रेडिट (श्रेय) सिद्धांत व्यावहारिक*
501	**भारत में प्रारंभिक शिक्षा : एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य**	**खण्ड–1 :** भारत में प्रारंभिक शिक्षा : एक सिंहावलोकन	**इकाई 1 :** भारतीय शिक्षा प्रणाली–1 **इकाई 2 :** भारतीय शिक्षा प्रणाली–2 **इकाई 3 :** शिक्षा : एक मौलिक अधिकार	3 + 1 = 4
		खण्ड–2 : समकालीन संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा–I	**इकाई 4 :** प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संगठनात्मक संरचना **इकाई 5 :** प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए व्यूह रचनाएँ–I **इकाई 6 :** प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण संबंधी कार्यनीतियाँ–II **इकाई 7 :** सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन तथा प्रबंधन	
		खण्ड–3 : समकालीन संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा–II	**इकाई 8 :** प्राथमिक शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करना **इकाई 9 :** सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा **इकाई 10 :** प्रारंभिक शिक्षा में अंतराष्ट्रीय परिदृश्य	
506	**समावेशी-संदर्भ में बच्चों को समझना**	**खण्ड–1 :** बच्चों की वृद्धि विकास एवं विकास को समझना	**इकाई 1 :** बच्चों को समझना **इकाई 2 :** आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की भूमिका	6 + 2 = 8
		खण्ड–2 : बच्चों का व्यक्तित्व विकास	**इकाई 3 :** व्यक्तित्व का विकास और इसका मूल्यांकन **इकाई 4 :** चिन्तन कौशल का विकास **इकाई 5 :** स्वयं का विकास	

			इकाई 6 : बच्चों में रचनात्मकता का विकास
		खण्ड-3 : समावेशी शिक्षा	**इकाई 7 :** समावेशी शिक्षा का परिचय
			इकाई 8 : विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अवधारणा
			इकाई 9 : CWSN की अवधारणा
			इकाई 10 : अंगीकरण प्रवीणता का विकास (DAS) सहायक साधन (AS), विशेष उपचार (ST)
		खण्ड-4 : बालिकाओं और बच्चों का अधिकार	**इकाई 11 :** शिक्षा में लैंगिक मुद्दे
			इकाई 12 : बालिकाओं को सशक्त बनाना
			इकाई 13 : बालक और पात्रतायें
502	**प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक प्रक्रियायें**	**खण्ड-1 :** अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया	**इकाई 1 :** विद्यालय के शुरूआती समय के दौरान अधिगम और शिक्षण 6 + 2 = 8
			इकाई 2 : शिक्षण एवं अधिगम उपागम
			इकाई 3 : शिक्षण और अधिगम की विधियाँ
			इकाई 4 : अधिगम और अधिगम केंद्रित उपागम और विधियाँ
		खण्ड-2 : अधिगम, शिक्षण-प्रक्रिया का प्रबंधन	**इकाई 5 :** कक्षा-कक्ष की प्रक्रिया का प्रबंध
			इकाई 6 : शिक्षण एवं अधिगम सामग्री
			इकाई 7 : बहु-कक्षा और बहु-स्तरीय स्थितियों का प्रबंधन
			इकाई 8 : अधिगम क्रियाओं का नियोजन
		खण्ड-3 : कक्षा अधिगम में उभरते मुद्दे	**इकाई 9 :** समेकित एकीकृत अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया
			इकाई 10 : असंगठित शिक्षार्थियों हेतु संदर्भित अधिगम प्रक्रियाएँ
			इकाई 11 : अधिगम में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
			इकाई 12 : कम्प्यूटर अधिगम
		खण्ड-4 : अधिगम मूल्यांकन	**इकाई 13 :** निर्धारण तथा मूल्यांकन के आधार
			इकाई 14 : अधिगम एवं निर्धारण
			इकाई 15 : आंकलन के उपकरण एवं युक्तियाँ
			इकाई 16 : आंकलन के परिणामों का उपयोग करके अधिगम को बेहतर बनाना

507	**समुदाय और प्राथमिक शिक्षा**	**खण्ड 1 :** समाज, समुदाय और विद्यालय	**इकाई 1 :** समाज और शिक्षा **इकाई 2 :** समुदाय और विद्यालय **इकाई 3 :** विद्यालयी शिक्षा में समुदाय का योगदान **इकाई 4 :** सर्वशिक्षा अभियान (SSA) और शिक्षा प्राप्ति का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत समुदाय की भागीदारी के लिए प्रावधान	3 + 1 = 4
		खण्ड 2 : विद्यालय प्रणाली	**इकाई 5 :** बच्चों की पात्रतायें और विद्यालय के प्रावधान **इकाई 6 :** शिक्षक और विद्यालय **इकाई 7 :** शिक्षक नेतृत्व **इकाई 8 :** शिक्षा अभिकरणों के साथ संबंध	
		खण्ड 3 : विद्यालय समुदाय के अंतरापृष्ठ का प्रबंधन	**इकाई 9 :** सामुदायिक गतिशीलता (अभ्यास पर आधारित) **इकाई 10 :** विद्यालय प्रबंधन **इकाई 11 :** विद्यालय एवं समुदाय के संसाधन का प्रबंधन **इकाई 12 :** विद्यालय समुदाय भागीदारी का प्रबंधन उपागम	
503	**प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण**	**खण्ड–1 :** भाषा की समझ	**इकाई 1 :** भाषा क्या है? **इकाई 2 :** भारतीय भाषाएँ **इकाई 3 :** भाषा अधिगम एवं भाषा शिक्षण	3 + 1 = 4
		खण्ड–2 : भाषा अधिगम से संबंधित कौशल	**इकाई 4 :** सुनना व बोलना **इकाई 5 :** पठन कौशल/पढ़ना **इकाई 6 :** लेखन कौशल/लिखना **इकाई 7 :** साहित्य एवं भाषा	
		खण्ड–3 : सीखना	**इकाई 8 :** भाषा की कक्षा में शिक्षण योजना **इकाई 9 :** शैक्षिक सामग्री : कुछ नये आयाम **इकाई 10 :** मूल्यांकन और आकलन	
504	**प्रारंभिक स्तर पर गणित सीखना**	**खण्ड–1 :** प्रारंभिक स्तर पर गणित सीखने का महत्व	**इकाई 1 :** बच्चे गणित कैसे सीखते हैं? **इकाई 2 :** गणित एवं गणितीय शिक्षा का महत्व, क्षेत्र एवं सार्थकता **इकाई 3 :** गणित–शिक्षा का उद्देश्य एवं परिप्रेक्ष्य **इकाई 4 :** अधिगमकर्ता व अधिगम केंद्रित प्रणालियाँ/विधियाँ	3 + 1 = 4
		खण्ड–2 : गणितीय प्रत्ययों एवं विधियों का संवर्धन	**इकाई 5 :** संख्याएँ एवं संख्याओं पर संक्रियाएँ **इकाई 6 :** आकृतियाँ और स्थानिक समझ	

		खण्ड–3 : गणित में अधिगमकर्ता का आकलन	**इकाई 7 :** माप और मापन **इकाई 8 :** आंकड़ों का प्रबन्धन **इकाई 9 :** सामान्यीकृत अंकगणित के रूप में बीजगणित **इकाई 10 :** गणित अधिगम के आकलन के उपागम **इकाई 11 :** आकलन के साधन एवं प्रविधियाँ **इकाई 12 :** गणित अधिगम के आकलन हेतु अनुकरण	
505	**प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का अधिगम**	**खण्ड–1 :** प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण–अधिगम का महत्व	**इकाई 1 :** अधिगम के प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण का महत्व **इकाई 2 :** प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण–अधिगम के उद्देश्य एवं क्षेत्र **इकाई 3 :** पर्यावरण अध्ययन अवधारणों के शिक्षण शास्त्रीय विस्तार **इकाई 4 :** प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का पाठयचर्यात्मक प्रावधान	3 + 1
		खण्ड–2 : पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या एवं शिक्षा शास्त्र	**इकाई 5 :** पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण–अधिगम हेतु उपागम:क्रिया आधारित अधिगम एवं सहयोगी अधिगम **इकाई 6 :** पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण–अधिगम की विधियाँ **इकाई 7 :** पर्यावरण के शिक्षण और अधिगम की योजना बनाना **इकाई 8 :** पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण–अधिगम हेतु संसाधन एवं सामग्री	
		खण्ड–3 : पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन	**इकाई 9 :** पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का मूल्य निर्धारण **इकाई 10 :** पर्यावरण अध्ययन में अधिगम आकलन के उपकरण एवं तकनीकें **इकाई 11 :** मूल्यांकन के परिणामों का अध्येताओं की समझ की वृद्धि के लिए उपयोग करना	
508	**प्राथमिक स्तर पर कला, स्वास्थ्य, और शारीरिक और कार्य शिक्षा का अधिगम**	**खण्ड–1 :** कला शिक्षा	**इकाई 1 :** कला और कला शिक्षा को समझना (सैद्धांतिक) **इकाई 2 :** दृश्य कला एवं शिल्प (प्रायोगिक) **इकाई 3 :** प्रदर्शन कला (प्रायोगिक) **इकाई 4 :** प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कला शिक्षा की योजना व संगठन **इकाई 5 :** कला शिक्षा में मूल्यांकन	3 + 1 = 4

		खण्ड–2 : स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	**इकाई 6 :** स्वास्थ्य का अर्थ एवं अभिप्राय **इकाई 7 :** विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख पहलू **इकाई 8 :** आवश्यक 'स्वास्थ्य' सेवायें **इकाई 9 :** शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणाएँ **इकाई 10 :** शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना और संगठन **इकाई 11 :** खेल, क्रीड़ा एवं योग	
		खण्ड–3 : कार्य शिक्षा	**इकाई 12 :** कार्य शिक्षा की अवधारणा **इकाई 13 :** कार्य शिक्षा का कार्यान्वयन (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पक्ष) **इकाई 14 :** कार्य शिक्षा में कौशलों का विकास (प्रायोगिक कार्य) **इकाई 15 :** विद्यालय में कार्य शिक्षा **इकाई 16 :** कार्य शिक्षा में मूल्यांकन	

ऐच्छिक शिक्षण विषय
निर्धारित विषयों को पढ़ाने का प्रकरण
(समूह-तृतीय) कोई एक

509	**उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अधिगम**	**खण्ड–1 :** एक अनुशासन के रूप में सामाजिक विज्ञान की समझ	**इकाई 1 :** सामाजिक विज्ञान की प्रकृति **इकाई 2 :** विद्यालय पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान **इकाई 3 :** इतिहास	3 + 1 = 4
		खण्ड–2 : सामाजिक विज्ञान विषय और अवधारणाएं	**इकाई 4 :** भूगोल **इकाई 5 :** राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र/समाजशास्त्र के एकीकृत विषय के रूप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन	
		खण्ड–3 : सामाजिक विज्ञान के शिक्षा–शास्त्रीय मुद्दे	**इकाई 6 :** अधिगमकर्ता की प्रकृति और स्थानीय संदर्भ की समझ **इकाई 7 :** शिक्षण–अधिगम रणनीतियाँ **इकाई 8 :** सामाजिक विज्ञान में अधिगम संसाधन **इकाई 9 :** सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन	
510	**उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान अधिगम**	**खण्ड–1 :** विज्ञान की समझ	**इकाई 1 :** विज्ञान की प्रकृति **इकाई 2 :** वैज्ञानिक जाँच **इकाई 3 :** विज्ञान–शिक्षण के विभिन्न उपागम	3 + 1 = 4

		इकाई 4 : करके देखने का अनुभव : भूमिका और महत्व
	खण्ड-2 : विज्ञान शिक्षण का प्रबंधन एवं मापन	**इकाई 5 :** उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की योजना बनाना एवं प्रबंधन करना
		इकाई 6 : आकलन
		इकाई 7 : विज्ञान शिक्षण में मुद्दे और चुनौतियां

प्रायोगिक विषय (समूह-चतुर्थ-IV)

511	**विद्यालय आधारित गतिविधियां**	विद्यालय आधारित गतिविधियों का बंटवारा तीन वर्गों में : ● विद्यालय के बच्चे का घटना अध्ययन ● रिकॉर्ड और अभिलेखों का रखरखाव ● विद्यालय कार्यक्रम का योगदान	
512	**कार्यशाला आधाारित गतिविधियां (प्रथम वर्ष)**	प्रथम वर्ष की कार्यशाला आधारित गतिविधियां 10 दिवसीय कार्यशाला के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को समाविष्ट करना ● भाषा, गणित पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान के पाठ-योजना तैयार करना ● तीनों विषयों की शिक्षण-अधिगम सामग्रियां एवं सहायक उपकरणों को तैयार करना ● विषय आधारित मूल्यांकन के लिए बस्ता फाईल का विकास करना ● अभिकल्पना और रूपरेखा के आधार पर संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करना ● पाठ उत्पत्ति का अवलोकन करना ● प्रक्रिया मूल्यांकन में भागीदारी करना।	4
513	**कार्यशाला आधारित गतिविधियां (द्वितीय वर्ष)**	● द्वितीय वर्ष की कार्यशाला आधारित गतिविधियां ● 10 दिवसीय कार्यशाला के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को समाविष्ट करना ● विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मानचित्रण की अवधारणा ● विज्ञान या सामाजिक विज्ञान का पाठ-योजना ● कला, शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्यशिक्षा का क्रियान्वयन ● पाठ उत्पत्ति का अवलोकन करना, परिसंवाद का प्रस्तुतिकरण ● सहपाठी का पाठ अवलोकन - प्रक्रिया मूल्यांकन में भागीदारी	4
514	**शिक्षण अभ्यास**	एक प्रशिक्षु शिक्षक को 4 विषयों (भाषा, गणित, पर्यावरण, शिक्षा और विज्ञान/सामाजिक विज्ञान) में से प्रत्येक विषय से	शिक्षण अभ्यास के 8 क्रेडिट हैं।

10 अभ्यास पाठों को प्रस्तुत करना आवश्यक है। उसके लिए विद्यालय में एक परामर्शदाता एवं पर्यवेक्षक की व्यवस्था की जायेगी। (सलाहकार विषय का वरिष्ठ अध्यापक होगा)
प्रशिक्षु अध्यापक निम्न मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार मूल्यांकित किया जायेगा–

- पाठ योजना
- विषय वस्तु की दक्षता
- शिक्षक की प्रस्तुति
- पाठ और उसके प्रबंधन में शिक्षार्थी की भागीदारी
- शिक्षार्थी का मूल्यांकन
- विद्यालय प्रमुख द्वारा शिक्षण अभ्यास का मूल्यांकन

पता व अध्ययन केंद्र में बदलाव/सुधार

पता व अध्ययन केंद्र में बदलाव/सुधार के लिए अधिगमकर्ता को कार्यक्रम निर्देशिका में मुद्रित-प्रारूप, अध्ययन सामग्री के साथ प्रारंभ में ही भेज दिया जाता है। यदि कोई सुधार/बदलाव है तो अधिगमकर्ता को सलाह दी जाती है कि वो कार्यक्रम निर्देशिका में उपलब्ध कराये गये प्रारूप का प्रयोग करें और संबद्ध क्षेत्रीय केंद्र को भेज दें। क्षेत्रीय कार्यालय शिक्षार्थी का हस्ताक्षर सत्यापित करें। यह प्रारूप NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in से भी प्राप्त किया जा सकता है।

7. विस्तृत इकाई संरचना

पाठ्यक्रम 1: 501- भारत में प्रारंभिक शिक्षा: एक सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

मूलाधार

यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एवं सार्वभौमिक स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा का एक समग्र अवलोकन प्रस्तुत करता है। यह प्रारंभिक शिक्षा के ऐतिहासिक प्रगति के वर्णन पर लक्षित है जो शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा की प्रकृति एवं विकास को सार्वत्रिक तरीके से समझने में सहायता करता है। इस पाठ्यक्रम का प्रारूप समाज एवं विविध जीवन अनुभवों की आवश्यकता पर आधारित है जो समकालीन भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा को समझने में पूर्ण समर्थ बनाता है।

प्रत्येक इकाई के अंत में पढ़ाई एवं गतिविधियों पर दिये गये सुझावों पर कार्य प्रारंभिक शिक्षा की गहन समझ प्रदान करेंगे।

विशिष्ट उद्देश्य:-

- प्रारंभिक शिक्षा के सम्मुख उपस्थित प्रवृत्तियों, मुद्दों एवं चुनौतियों की समझ विकसित करना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण का समग्र अवलोकन विकसित करना।
- प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए विविध पहलों जैसे DPEP,SSA,RAT आदि की भूमिका को महत्व प्रदान करना।

- स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता पश्चात् की अवधि में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति की समझ विकसित करना।

खण्ड-1: भारत में प्रारंभिक शिक्षा- एक सिंहावलोकन

इकाई-1. भारतीय शिक्षा प्रणाली-1

- प्राचीन भारतीय शिक्षाप्रणली का एक संक्षिप्त अवलोकन; प्राचीन कालीन 'गुरू' और आज के व्यावसायिक शिक्षक की अवधारणा।
- प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में ब्रिटिश काल से लेकर 1974 तक विभिन्न आयोगों एवं समितियों के सार्थक सुझाव।

इकाई-2. भारतीय शिक्षा प्रणाली-2

- प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में स्वतंत्रता पश्चात् के भारत के आयोगों एवं समितियों विशेषत: शिक्षा आयोग 1964-66 के सार्थक सुझावों का एक संक्षिप्त समग्र अवलोकन।
- शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1940 और 1986/1992, में समाविष्ट प्रारंभिक शिक्षा से संबद्ध मुद्दों पर चर्चा।
- 5 वर्षीय प्राथमिक एवं 3वर्षीय उच्च प्राथमिक शिक्षा के साथ प्रारंभिक शिक्षा की 8 वर्षीय संरचना।
- प्रारंभिक विद्यालय पाठ्यचर्या के लिए विद्यालय पाठ्चर्या ढाँचा का विकास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचा 2005 के महत्वपूर्ण आशय।

इकाई 3 : शिक्षा : एक मौलिक अधिकार

- संविधान के मूल अनुच्छेद 45 के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के कारण।
- 86 वाँ संविधान संशोधन 2002, अनुच्छेद 21A : एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का आविर्भाव।
- बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के मुख्य प्रावधानों का विवरण इन संदर्भो में:-
  - — बच्चे का अधिकार
  - — शिक्षक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
  - — विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, पाठ्यचर्चा एवं अनिवार्य मूल्यांकन
- राज्यों द्वारा स्वीकृत शिक्षा के अधिकार कानून के नियमों का एक संक्षिप्त संदर्भ।
- समवर्ती सूची में शिक्षा, केन्द्र एवं राज्यों के लिए आशय।

इकाई 4: प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संगठनात्मक संरचना

- प्रारंभिक शिक्षा का विविध स्तरों पर संगठनात्मक संरचना :—
  - — राष्ट्रीय (NCERT)
  - — राज्य (SCERT, SIEMT)
  - — जिला (DIETSs)
  - — प्रखण्ड (BRCs)
  - — कलस्टर (CRCs)

प्रत्येक स्तर पर सृजित संस्थानों की भूमिका एवं कार्य।

खण्ड 2: समकालीन संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा-I

इकाई 5: प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कार्यनीतियाँ

- प्रारंभिक शिक्षा का सर्वभौमिकरण, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए परियोजना बनाना
- उत्तर प्रदेश आधारभूत शिक्षा परियोजना, बिहार शिक्षा परियोजना, लोक जुम्बिश, शिक्षा कर्मी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए विशिष्ट परियोजना, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए योजनायें, बालिकाओं के लिए योजनायें, आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए योजनायें, दूरस्थ स्थित क्षेत्रों के बच्चों के लिए योजनायें, विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए योजनायें, विशेष लक्ष्य समूह के लिए योजना (विकलांग, देवदासी के बच्चे आदि)
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DEEP), DEEP के उद्देश्य DEEP के मुख्य घटक, DEEP की कार्यान्वयन योजना, रणनीतियाँ, UEE पर कार्यक्रम का प्रभाव।

इकाई 6: प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कार्यनीतियाँ-II

- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम और इसके मूलभूत गुण
- सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य
- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की विस्तृत रणनीतियाँ
- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तिय मानदण्ड
- विद्यालय एवं अन्य संबंधित सुविधाओं का विकास
- मध्यान्ह भोजन एवं सर्व शिक्षा अभियान में इसका योगदान
- शिक्षा का अधिकार कानून 2009 का समन्वीकरण और सर्व शिक्षा अभियान

इकाई 7: सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन तथा प्रबंधन

- शैक्षिक प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण, 73वाँ, 74वाँ संविधान संशोधन
- सूक्ष्म एवं विस्तृत स्तरों पर योजना
- प्रारंभिक शिक्षा में प्रबंधन एवं प्रशासनिक मुद्दे
- विद्यालय प्रबंधन की तुलना में शिक्षा का अधिकार कानून 2009
- प्रभावी प्रबंधन एवं क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय संस्थानों का एक जाल बनाना।

खण्ड 3 : समसामयिक संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा-II

इकाई 8: प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करना

- प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा के प्रारूप, संबंधित प्रारूपों के साथ
- प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा ढाँचा 2005 को आगे बढ़ाना।
- प्रारभिक शिक्षकों की तैयारी के लिए शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचा 2009-10 के प्रमुख पक्ष।
- प्रारंभिक शिक्षा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरों के शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे।
- एक विचारशील कर्ता के रूप में शिक्षक
- शिक्षक योजना जाँच परीक्षा का कार्यान्वयन

इकाई 9: सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा

- उपागमन एवं अवरोधन पर मुद्दे
- उपागम की बाधायें
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शिक्षा
- मुस्लिम अल्पसंख्यक
- प्रवजन
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN)
- शहरी गरीब वंचित एवं भौतिक रूप से दूरस्थ बच्चे
- कार्यरत बच्चे

- शैक्षिक समर्थन प्रणाली और शिक्षक सशक्तिकरण
- शिक्षकों को समावेशी प्रशिक्षण
- विद्यालय में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए शिक्षकों का सशक्तिकरण

इकाई 10 : प्रारंभिक शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य

- जामटीन सम्मेलन (1990) के मुख्य दबाव और E-9 देशों और दक्षिण एशिया क्षेत्र पर प्रभाव
- विकासशील एवं विकसित देशों में प्रारंभिक शिक्षा की पहल
- UEE में अन्तराष्ट्रीय अभिकरणों (UNESCO, UNICEF, विश्व बैंक, DFID, SIDA) की भूमिका
- विश्व शिक्षा सम्मेलन, डकार, सेनेगल 2009
- सबके लिए शिक्षा की पहल

पाठ्यक्रम 506 — समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना

बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने एवं उनके साकल्यवादी तरीके से विकास में सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षकों में बच्चों की प्रकृति एवं उनकी आवश्यकताओं की सार्थक समझ होनी चाहिए। बच्चों को संपूर्णता में समझे बगैर प्रभावी शिक्षण संभव नहीं है। यह पाठ्यक्रम आपको बच्चों के व्यक्तिगत अन्तरों को समझने और तद्नुसार व्यवहार करने में सहायक होगा। शिक्षकों से उम्मीद की जाती है कि वे ऐसा सहायक वातावरण और बच्चों के प्रति केन्द्रित शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया सृजित करें ताकि प्रत्येक बच्चा स्वतंत्र रूप से अपना दृष्टिकोण रखे, भयमुक्त अनुभव करे और अपने ज्ञान को अनुभवों पर आधारित बनाये। शिक्षकों को बच्चों के निर्विघ्न विकास के लिए उनके अधिकारों की रक्षा और उनके हक को महत्व प्रदान करना चाहिए। इस पाठ्यक्रम में होने वाले विचार विमर्श आपको बच्चों के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति अधिक संवेदनशील एवं अन्तः दृष्टिपूर्ण करेगा।

यह पाठ्यक्रम बच्चों के विकास और उनके शिक्षण-अधिगम आशय के आधारभूत अवधारणा और सिद्धान्तों की समझ विकसित करने को लक्ष्य में रख कर किया गया है। शिक्षक बच्चों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में मार्गदर्शन कर सकते हैं। व्यक्तिगत भेदभावों जैसे, लैंगिक मुद्दे और सामाजिक-आर्थिक तथ्यों की समझ, शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक वातावरण सृजित करने में सहायक होंगी।

पाठ्यक्रम का प्रारूपः-

पाठ्यक्रम का प्रारूप इस प्रकार बनाया गया है जिससे वह निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेः-

- बच्चों को समझने में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन करना।
- बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए रणनितियों पर विचार विमर्श करना।
- अधिगमकर्ताओं और उनकी अधिगम प्रक्रिया को समझना।
- क्षेत्र-आधारित गतिविधियों की जिम्मेवारी लेना, अवधारणाओं को संदर्भ में समझना।

- प्रत्येक इकाई के अन्त में पढ़ाये एवं सुझाये गये सलाहों के माध्यम से इस पाठ्यक्रम के विविध अवधारणाओं से परिचित कराने में शिक्षक को समर्थ बनाना।

मूलाधार:

इस पाठ्यक्रम का प्रारूप शिक्षकों के लिए प्रारंभिक स्तर पर बच्चों एवं उनके बचपन को समझने के लिए तैयार किया गया है। यह एक बुनियादी पाठ्यक्रम है जो शिक्षण प्रवीणता एवं योग्यता पर आधारित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको पृष्ठभूमि ज्ञान से सुसज्जित करना है। जो कि प्रारंभिक विद्यालय के बच्चों और उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की समझ विकसित करने में सहायक है। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशीलता विकसित एवं जो कक्षा के वातावरण को स्वस्थ एवं प्रभावी बनाता है।

विशिष्ट उद्देश्य :-

यह पाठ्यक्रम निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यो को प्राप्त करने का इरादा रखता है:-

- एक बच्चे के विभिन्न पक्षों शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, और भावात्मक विकास की समझ को विकसित करना।
- बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त तरीके और माध्यम चुनने के लिए शिक्षकों को समर्थ बनाना।
- समावेशी वातावरण में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए समझ को बनाना।

पाठ्यक्रम 4 खण्डों में संगठित 13 इकाईयों को समाविष्ट करता है जो इस प्रकार दिये गये हैं।

इकाईयों में शामिल मुख्य अवधारणा प्रत्येक इकाई के अर्न्तगत मुख्य रूप से दिये गये हैं।

खण्ड-1: बच्चे की वृद्धि एवं विकास को समझना

इकाई 1 : बच्चों को समझना

- वृद्धि एवं विकास के सिद्धान्त/लक्षण
- वृद्धि एवं विकास के बीच सम्बन्ध
- शैशव से बचपन की वृद्धि और उनके तात्पर्यों का स्तर
- विकास के स्तर (शरीरिक, सामाजिक, भावात्मक, गत्यात्मक, संवेगात्मक और नैतिक) और शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रियाओं के विकास के स्तर का तात्पर्य
- वृद्धि एवं विकास के सरलीकरण के तथ्य
- बच्चों के वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की भूमिका

इकाई 2: आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की भूमिका

- आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अवधारणा
- आनुवंशिकता की क्रियाविधि, पर्यावरण के तथ्य एवं महत्व
- आनुवंशिकता का सापेक्षिक अभिप्राय और बच्चे की समझ में पर्यावरण
- आनुवंशिकता का तात्पर्य और बच्चे के विकास के लिए पर्यावरण

खण्ड-2: बच्चों का व्यक्तित्व विकास

इकाई 3: व्यक्तित्व का विकास करना और इसका मूल्यांकन

- व्यक्तित्व की प्रकृति एवं अवधारणा
- व्यक्तित्व के लक्षण एवं आयाम
- व्यक्तित्व के सिद्धान्त; स्व अवधारणा का विकास, मूल्यों, मनोवृति, प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रेरणा; नेतृत्व व्यवहार
- व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तथ्यों का मूल्यांकन
- व्यक्तित्व विकास में शिक्षकों की भूमिका

इकाई 4: चिन्तन कौशलों का विकास

- चिन्तन के सरलीकरण के स्तर, प्रकार और यंत्र
- आलोचनात्मक, अभिसारी एवं अपसारी चिन्तन का विकास, बच्चे को चिन्तन आधारित तर्कसंगत निर्णय लेने में समर्थ बनाना
- कक्षा कक्ष में बच्चों में प्रश्न पूछने की प्रवीणता का सरलीकरण करना
- चिन्तन कौशल के विकास में विद्यालय और शिक्षक की भूमिका

इकाई 5: स्वयं का विकास

- बच्चों में स्वयं के अवधारणा का विकास
- स्थितियाँ जो बच्चों में स्वयं के संकल्पना को प्रभावित करें —
- बच्चों में स्वयं के संकल्पना को प्रभावित करने वाले कारक —
  - — बच्चों में मूल्यों एवं नैतिकता का विकास
  - — मूल्यों के विकास में अनुशासन की भूमिका
  - — बच्चों में अच्छी मनोवृतियों के विकास करने में शिक्षक के मनोभाव एवं भूमिका का विकास

— बच्चों में अवबोधन का महत्व और इसका विकास

— बच्चों में अभिप्रेरण, दृढ़ता, चुनौती एवं निर्भरता की रूचि

— अभिप्रेरण को विकसित करना और बढ़ाना

ईकाई 6: बच्चों में सृजनशीलता विकसित करना

- सृजनशीलता की संकल्पना एवं प्रकृति
- सृजनशीलता का मूल्यांकन
- सृजनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक
- गतिविधियों के द्वारा सृजनशीलता का विकास करने की रणनीति (सृजनशीलता को बढ़ाने वाली गतिविधियाँ)

  (a) शैक्षिक (b) सह-शैक्षिक
- सृजनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए अधिगम सामग्री विकसित करना

खण्ड 3: समावेशी शिक्षा

इकाई 7: समावेशी शिक्षा का परिचय

- विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा की संकल्पना और प्रकृति
- समावेशी विद्यालय एवं कक्षाकक्ष को प्रभावित करने वाले कारक
- समावेशी अधिगम सामग्री, भौतिक वातावरण और कक्षाकक्ष प्रबंधन
- समावेशी मूल्यांकन प्रणाली को विकसित करना
- वंचित समूह: दलित, आदिवासी, श्रमिक बच्चा, और अन्य प्रकार के समावेशन

इकाई 8: CWSN की अवधारणा

- CWSN को परिभाषित करना
- अशक्तता के प्रकार (मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारिक, अधिगम आदि) और बच्चों की वृद्धि पर उनका प्रभाव
- अशक्त बच्चों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, क्यों वे 'प्रतीक्षा वाले बच्चे' उल्लेखित किये जाते हैं?
- प्रारंभिक पहचान, मूल्यांकन और हस्तक्षेप

- PWD कानून 1994, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की भूमिका
- कक्षा कक्ष में CWSN को संचालित करने में एक शिक्षक कैसे मार्मिक भूमिका निभा सकता है।
- CWSN को पहचानने एवं संबोधित करने में शिक्षक की भूमिका
- प्रारंभिक स्तर पर CWSN की अधिगम आवश्यकतायें

इकाई 9: CWSN की शिक्षा

- CWSN की शैक्षिक आवश्यकतायें
- CWSN के लिए पाठ्यचर्या अंगीकरण (सामान्य पाठ्यचर्या अंगीकृत होंगे)CWSN की अधिगम आवश्यकताओं को विद्यालय में उपलब्ध कराना
- विद्यालय में अशक्त बच्चे का समावेशन
- शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री
- CWSN का कक्षाकक्ष समायोजन
- घर आधारित शिक्षा की संकल्पना एवं भूमिका
- CWSN के द्वारा प्रभावी अधिगम के लिए ICT_s का उपयोग
- CWSN और कक्षा कक्ष का प्रबंधन

ईकाई 10: अंगीकरण प्रवीणता का विकास (DAS), सहायक साधन (AS), विशेष उपचार (ST)

- मानसिक मन्दन वाले बच्चों के DAS, AS के लिए ST और श्रवण बाधित, गति चालक, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और वाचन बाधित, अधिगम परेशानियाँ और बहुआयामी अशक्तताओं में से प्रत्येक साधन पर एक संक्षिप्त विचार विमर्श

खण्ड 4: बालिकाओं और बालकों का अधिकार

ईकाई 11: शिक्षा में लैंगिक मुद्दे

- लैंगिंक संकल्पना, यौन एवं लिंग में विभेदीकरण
- लड़कों और लड़कियों की जैविक एवं लैंगिक विशेषतायें
- लैंगिक भेदभाव का अर्थ
- हमारे समाज में लड़कों एवं लड़कियों की स्थिति
- लैंगिक भेदभाव के कारण
- विद्यालयों और कक्षा कक्षों में लैंगिक भेदभाव

- लैंगिक विभेदक आचरण को रोकने की आवश्यकता
- विद्यालय और शिक्षकों की भूमिका

इकाई 12: बालिकाओं को सशक्त बनाना

- सशक्तिकरण की संकल्पना, सशक्तिकरण का अर्थ
- सशक्तिकरण के सूचक
- कन्याओं को समर्थ बनाने की आवश्यकता
- कन्या के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका, औपचारिक एवं गैर-औरचारिक शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण।
- कन्याओं को सशक्त बनाने की पहल: संविधान का आदेश
- सरकार की नीतियाँ एवं पहल, NPEGEL
- ग्रामीण क्षेत्रों की कन्याओं के लिए कार्यक्रम, अन्य पहल (महिला समाख्या)
- महिलाओं एवं कन्याओं को सशक्त बनाने में अधिकरणों की भूमिका: सरकार और गैरसरकारी संगठनों की भूमिका, स्थानीय निकायों, विद्यालयों एवं शिक्षकों की भूमिका
- कन्याओं के लिए जीवन कौशल: जीवन कौशल की संकल्पना, कन्याओं के लिए जीवन कौशल, विद्यालयों और शिक्षकों की भूमिका

इकाई 13: बाल अधिकार और पात्रतायें

- मानवाधिकारों का अर्थ और बाल अधिकार
- बालअधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की पहल: संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के मुख्य उद्देश्य एवं प्रयोजन
- बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 और बालअधिकार
- बाल अधिकारों की सुरक्षा: बाल अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता
- बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के अनिवार्य प्रावधान (NCPCR): बाल अधिकारों का उल्लंघन, बालश्रम: बालश्रम का अर्थ
- बालश्रम के उन्मूलन की आवश्यकता
- बालश्रम पर रोक लगाने के पैमाने
- भारत में बालश्रम उन्मूलन के बारे में योजना आयोग में कार्यकारी सारांश
- विद्यालय में बाल अधिकारों का उल्लंघन: विद्यालय में बालअधिकारों के उल्लंघन के उदाहरण
- शारीरिक दंड एवं बाल अधिकार

- शारीरिक दंड पर रोक लगाने की आवश्यकता
- बाल अधिकारों की रक्षा में शिक्षक की भूमिका, शिक्षकों के लिए आचार संहिता

पाठ्यक्रम-502- प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियायें

पाठ्यक्रम का प्रारूप

- पाठ्यक्रम में क्षेत्र आधारित सत्रीय कार्य होंगे।
- शिक्षण कौशल का विकास करना।
- विद्यालय के विषयों के सिद्धान्त एवं शिक्षण अभ्यास का समंजन।
- शिक्षा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों और उपागम को समझना।
- प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षकों को समर्थ करना।

मूलाधार

सभी शिक्षा शास्त्रीय प्रयासों का मूल है सीमित विद्यालयी परिस्थितियों में बच्चों की गुणवत्ता समृद्ध करना एवं उनके अधिगम अनुभवों का विस्तार करना। इस शिक्षा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ शिक्षक और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने एवं सरलीकरण पर विचार।

यह पाठ्यक्रम अग्रदर्शी शिक्षकों को शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रियाओं की संकल्पनात्मक शुद्धता के साथ सुसज्जित करने पर लक्षित होगा ताकि वे विभिन्न संदर्भो में प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तरीके एवं रणनीतियाँ चुन सकें। विपरीत परिस्थितियों में बच्चों का मूल्यांकन करेंगे जिसके आधार पर वे शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में उपयुक्त बदलाव करने का उत्तरदायित्व ले सकेंगे। शिक्षा शास्त्रीय अध्ययन शिक्षकों को बच्चों के विशिष्ट संदर्भ के साथ विद्यालय विषयों और अधिगम प्रक्रिया को समझने में समर्थ बनायेंगे।

विशिष्ट उद्देश्य :-

- कक्षा कक्ष/विद्यालय परिस्थितियों में बच्चों के सीखने के तरीके और उनकी प्रकृति को समझने में शिक्षकों की सहायता करना।
- तर्क करने तथा अधिगम प्रक्रिया और शिक्षा शास्त्रीय आचरण की संकल्पनात्मक समझ के लिए शिक्षकों की क्षमताओं का विकास करना।
- बच्चों के अधिगम के प्रभावी सरलीकरण के लिए उयुक्त तरीकों एवं रणनीतियों को चुनने, एकीकृत करने प्रयोग करने के लिए शिक्षकों को समर्थ बनाना।
- अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने तथा उनको कक्षाकक्ष अधिगम की प्रोन्नती में प्रभावी प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए शिक्षकों को स्वतंत्र करना।
- कक्षाकक्ष के अन्दर और बाहर अधिगम प्रक्रिया की समृद्धि के लिए 1CT द्वारा उपलब्ध विभिन्न यंत्रों एवं तकनीकों से शिक्षकों को अवगत कराना।

खण्ड 1: अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया

इकाई 1: विद्यालय के शुरूआती समय के दौरान अधिगम और शिक्षण

- अधिगम : संकल्पना और प्रक्रिया, अर्थ निर्माण के रूप में अधिगम, अधिगम परिपक्वता को प्रभावित करने वाले कारक, अभिप्रेरण, संदर्भ/वातावरण।
- बच्चे कैसे सीखें — अनुभव के द्वारा, भागीदारी द्वारा, प्रेक्षण द्वारा, अनुकरण द्वारा, जाँच एवं त्रुटि द्वारा, अन्तर्दृष्टि द्वारा! अनुभवों के निर्माण द्वारा अधिगम।
- शिक्षण — पारंपरिक दृष्टिकोण, सरलीकरण के रूप में शिक्षण/अधिगम का प्रबंधन

इकाई 2: शिक्षण एवं अधिगम के उपागम

- पारंपरिक शिक्षक केन्द्रित एवं विषय केन्द्रित उपागम :- लक्षण, उपयोगिता तथा सीमायें।
- सक्षमता आधारित उपागम : लक्षण, उपयोग और सीमायें।
- रचनात्मक उपागम : सामाजिक रचनात्मकता का दायरा, लक्षण, सार्थकता और सीमायें।
- बाल केन्द्रित उपागम : लक्षण, उपयोगिता और सीमायें।

इकाई 3: शिक्षण और अधिगम की विधियाँ

- शिक्षण और अधिगम का प्रभावी विधियों के लक्षण
- प्रभावी अनुदेशात्मक विधियाँ : व्याख्यान सह निरूपण, विचार विमर्श, आगमन और विगमन
- अत्यधिक अधिगमकर्ता मैत्री विधियाँ : स्वत: शोध, खोज, पूछताछ
- अत्यधिक प्रासंगिक विधियाँ : खेल-खेल में, समस्या समाधान, सरकारी एवं सहयोगी अधिगम
- रचनात्मक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त विधियों का संयोजन।

इकाई 4 : शिक्षार्थी और अधिगम केन्द्रित उपागम

- अधिगमकर्ता केन्द्रित और अधिगम केन्द्रित उपागमों की संकल्पना और लक्षण — उदाहरण के साथ
- शिक्षक केन्द्रित, अधिगमकर्ता केन्द्रित और अधिगम केन्द्रित उपागमों की तुलना
- अधिगमकर्ता एवं अधिगम मैत्री उपागम के रूप में गतिविधि आधारित उपागम :
- गतिविधि और उसके तत्व
- गतिविधि आधारित उपागमों के लक्षण
- उपागम में प्रयुक्त विधियाँ
- सार्थक एवं साकल्यवादी अधिगम के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संयोजन (पाठ्यचर्चा संबंधी एवं पाठ्यसहगामी दोनों)।

- अन्य उपागमों से श्रेष्ठता
- कक्षाकक्ष प्रबंधन में उपागम से संबंधित मुद्दे

खण्ड 2: अधिगम-शिक्षण प्रक्रिया का प्रबंधन

इकाई 5: कक्षा-कक्ष की प्रक्रिया का प्रबंध

- समूह एवं व्यक्तिगत अधिगम स्थितियों का प्रबंधन
- कक्षाकक्ष शिक्षण एवं अधिगम के लिए समय एवं स्थान का प्रबंधन
- गतिविधि आधारित शिक्षण-अधिगम विधियों के लिए कक्षाकक्ष में बैठने की व्यवस्था
- कक्षाकक्ष में अभिप्रेरण एवं अनुशासन के लिए प्रबंधन

इकाई 6 : शिक्षण एवं अधिगम सामग्री

- शिक्षण-अधिगम सामग्रियों (TLMSs) की श्रेणियाँ
- बिना लागत और कम लागत संदर्भित शिक्षण-अधिगम सामग्री
- शिक्षण-अधिगम सामग्री जुटाने/तैयार करने, प्रयोग करने और संग्रह करने में छात्रों की संलिप्ता और उनके अधिगम में इसके फायदे।
- शिक्षण-अधिगम सामग्री के रूप में पाठयपुस्तक : अधिगम के लिए पाठ्य पुस्तक का उचित प्रयोग
- पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अधिगम : विद्यालय अधिगम के संदर्भ में अधिगम के अन्य साधनों की खोज

इकाई 7 : बहु-कक्षा और बहु-स्तरीय स्थितियों का प्रबंधन

- विभिन्न बहु-ग्रेड स्थितियाँ और प्रत्येक स्थिति में अधिगम प्रबंधन के मुद्दे
- बहु-ग्रेड स्थितियों में स्थान, ग्रेड और पाठ्यचर्चा संबंधी प्रबंधन
- बहु-स्तरीय कक्षा : संकल्पना और मुद्दे
- बहु-स्तरीय/विजातीय कक्षाकक्ष में अधिगम सरलीकरण
- कक्षाकक्ष में अन्य प्रकार की विविधतायें (अधिगमकर्ताओं के लैंगिक, जातीय, CWSN सांस्कृति, भाषायी लक्षणों से उत्पन्न) और प्रभावी अधिगम के लिए उनका प्रबंधन।

इकाई 8 : अधिगम क्रियाओं का नियोजन

- पाठ्यचर्चा संबंधी और पाठ्यसहगामी गतिविधियों की वार्षिक योजना (समस्त विद्यालय और प्रत्येक कक्षा के लिए)

- पाठों का वार्षिक योजना तैयार करना (कक्षा व विषयवार या मुख्य सक्षमता संबंधी) आवश्यकता और क्रियाविधि।
- प्रत्येक विषय इकाई/योजना के लिए पाठ-योजना
- पाठ डायरी : आवश्यकता और रखरखाव की प्रक्रिया

खण्ड 3 : कक्षाकक्ष अधिगम में उभरते मुद्दे

इकाई 9 : समेकित/एकीकृत अधिगम और शिक्षण प्रक्रियाएँ

- प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर एकीकरण की संकल्पना, आवश्यकता और सार्थकता
- एकीकरण के प्रकार और प्रक्रिया
- एकीकृत अधिगम अनुभवों की योजना और संगठन
- एकीकृत विषय सामग्री (एकीकृत पाठ्यपुस्तकें, सामग्री और गतिविधियाँ)

इकाई 10 : अपवंचित शिक्षार्थियों हेतु संदर्भित अधिगम प्रक्रियाएँ

या

अपवंचित शिक्षार्थियों हेतु अधिगम प्रक्रियाओं को संदर्भित करना

- अधिगमकर्ता, स्थानीय विशिष्ट संदर्भ में सार्थक अधिगम
- अधिगम और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ
- प्रारंभिक विद्यालयी शिक्षा के दौरान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लोक सामग्रियों का प्रयोग
- कक्षाकक्ष में अधिगम गतिविधियों की योजना बनाते समय सामाजिक-सांस्कृतिक तत्वों का प्रयोग
- जनजातीय बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा में उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों और सामग्रियों का प्रयोग

इकाई 11 : अधिगम में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

- ICT : संकल्पनात्मक ढाँचा, विद्यालय अधिगम में ICT की सार्थकता
- ICT के यंत्र : हार्डवेयर (विभिन्न श्रव्य-दृश्य साधन) और साँफ्टवेयर (इण्टरनेट, वेबसाइट, सोशल नेटवर्क आदि) कक्षाकक्ष शिक्षण में इनका उपयोग।
- कक्षाकक्ष संपादन में ICT एकीकरण के लिए योजना

इकाई 12 : कम्प्यूटर सह-अधिगम

- कम्प्यूटर, इसके मुख्य घटक, कम्प्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी
- अधिगम के एक सहायक के रूप में कम्प्यूटर का उपयोग (कम्प्यूटर के द्वारा पाठ्यचर्चा संबंधी साफ्टवेयर पैकेज का उपयोग), विभिन्न प्रकार के पैकेजों का ज्ञान

- अधिगम के साधन के रूप में कम्प्यूटर का उपयोग (विषय ज्ञान के संवर्धन के लिए इण्टरनेट वैबसाइट की सहायता, जानकारी साझा करने और अन्तर्क्रिया के लिए सोशल नेटवर्क का उपयोग)
- विकसित या उपलब्ध साफ्टवेयर के द्वारा स्वयं का मूल्यांकन और अधिगमकर्ता की उपलब्धियों का मूल्यांकन

खण्ड 4 : अधिगम मूल्यांकन

इकाई 13 : निर्धारण तथा मूल्यांकन के आधार

- अधिगमकर्ता के प्रगति का निर्धारण : संकल्पना, मापन से विभिन्नता, मूल्यांकन
- अपेक्षित अधिगम परिणाम से निर्धारण का संबंध और कक्षाकक्ष संपादन की प्रक्रिया, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन एवं उनकी उपयोगिता
- सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE) — संकल्पना, प्रक्रिया और आवश्यकता
- सतत एवं समग्र मूल्यांकन के लिए मात्रात्मक एवं गुणात्मक डाटा का उपयोग।

इकाई 14 : अधिगम एवं निर्धारण

अधिगम का निर्धारण, अधिगम के लिए निर्धारण, AS अधिगम का निर्धारण : संकल्पना और सार्थकता, उद्देश्य, समय और रणनीतियों के लक्षण

इकाई 15 : आकलन के उपकरण एवं युक्तियाँ

- मूल्यांकन विधियों के अनुसार उपकरण और रणनीतियाँ
- संरचना का आधारभूत ज्ञान और विभिन्न प्रकार के जाँच तरीकों का उपयोग करके उपलब्धि परीक्षण, इकाई जाँच परीक्षा की संरचना और आयोजन
- निम्नलिखित तकनीकों एवं उपकरणों के मूल तत्व :-
- श्रेणी पैमाना, जाँच सूची, प्रश्नावली, प्रेक्षण, साक्षात्कार, पोर्टफोलियो
- विभिन्न प्रकार के जाँच तत्वों की संरचना का ज्ञान (वस्तुनिष्ठ आधारित), विस्तृत जवाब (निबंध), संक्षिप्त जवाब, वस्तुनिष्ठ, मुक्त-सिरा जाँच और उसकी उपयोगिता।

इकाई 16 : आकलन के परिणामों का उपयोग करके अधिगम को बेहतर बनाना

- मूल्यांकन के परिणामों का अभिलेखन और प्रतिवेदन।
- परिणामों को प्रत्येक वर्ग के साझेदारों, विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, शिक्षकों एवं अन्य साझेदारों के साथ विशिष्ट उद्देश्य के लिए साझा करना।
- मूल्यांकन के परिणामों से कमजोर एवं मजबूत पक्षों का चिह्नीकरण तथा अधिगम की गुणवत्ता एवं स्तर को सुधारने के लिए अनुवर्ती कार्यक्रम तैयार करना।

पाठ्यक्रम 4: 507-समुदाय और प्रारंभिक शिक्षा

पाठ्यक्रम का प्रारूप

- शिक्षा का अधिकार कानून (RET)के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण विद्यालय के विकास की समझ।
- शिक्षक, अभिभावक एवं समुदाय के बीच संबंध विकसित करना।
- शिक्षा के बदलाव में शिक्षकों को जागरूक बनाना।
- शिक्षकों में नेतृत्व गुण के कौशलों को विकसित करना।

मूलाधार और लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम भारत में प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में शिक्षा और समुदाय के बीच अंत:सम्बन्ध को समझने में शिक्षकों की सहायता करेगा। यह विद्यालय के विकास के लिए शिक्षक एवं समुदाय के बीच संबंध प्रवर्तित करता है। समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह कार्यक्रम विद्यालय एवं समुदाय के बीच भागीदारी दिखाता है। विद्यालय ऐसे स्थान पर स्थित होना चाहिए जहाँ सभी बच्चे आसानी से पहुँच जायें। यह विचार विमर्श शिक्षकों को समर्थ बनायेगा कि कैसे बच्चों और समुदाय के साथ संवाद स्थापित किया जाये ताकि उनका नाम लिखा, रखा और उनको बेहतर अधिगम उपलब्धि प्रदान किया जाये।

विशिष्ट उद्देश्य:-

- विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका की समझ।
- विद्यालय का समुदाय के साथ बेहतर तरीके से संवाद स्थापित करना।
- विद्यालय विकास के संदर्भ में विद्यालय की सुविधाओं और अन्य साधन सेवियों के प्रभाव का मूल्यांकन।
- समुदाय के संसाधनों का दोहन और विद्यालय वातावरण में उनका उपयोग।
- विद्यालय समुदाय सहजीवन के प्रबंधकीय प्रक्रिया को महत्व प्रदान करना।

खण्ड 1: समाज, समुदाय और विद्यालय

इकाई 1: समाज और शिक्षा

भारत में समाज और सामाजिक संबंध: समाज का परिचय; विकास तथा भारतीय समाज में विविधता और एक राष्ट्र के रूप में भारत की एकता; समाज और शिक्षा का अनुबन्धन, समाज के एक अवयव के रूप में विद्यालय (समाज के अनुप्रस्थ काट के रूप में विद्यालय)।

इकाई 2: समुदाय और विद्यालय

समुदाय की समझ (समाज बनाम समुदाय); समुदाय के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा; समुदाय और विद्यालय

अंत:सम्बन्ध, एक समुदाय के रूप में विद्यालय, भाषायी विकास पर प्रभाव, सांस्कृतिक विकास, जीवन की शैली (त्योहारों के साथ) और विभिन्न जीवन कौशलों का विकास

इकाई 3: विद्यालयी शिक्षा में समुदाय का योगदान

अभिभावकों की भूमिका, समुदाय एक समग्र प्रकार में (समर्थन; विद्यालय संसाधन के रूप में समुदाय; अधिगम सामग्री के विकास में समुदाय); अनुभव एवं शोध अध्ययन

इकाई 4: सर्वशिक्षा अभियान (SSA) और शिक्षा प्राप्ति का अधिकार (RTE) के अन्तर्गत समुदाय की भागीदारी के लिए प्रावधान

(भारत में प्रारंभिक शिक्षा का अनुबंधन, पाठ्यक्रम-खण्ड-2)

नीति प्रावधान, अभिभावक शिक्षक संघ की भूमिका/मातृ शिक्षक संघ, विद्यालय प्रबंधन समीति, स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज के मुख्य उद्देश्य और प्रारंभिक शिक्षा में एक संस्थान के रूप में उसकी भूमिका, प्रारंभिक शिक्षा और समुदाय के साथ भागीदारी, अनुभव एवं शोध अध्ययन।

खण्ड-2: विद्यालय प्रणाली

इकाई 5: बच्चे की पात्रतायें और विद्यालय प्रावधान

शिक्षा के अधिकार आधारित उपागम (विद्यालय और बच्चे के संदर्भ में मानवाधिकार), शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में विचारित किया जाना, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009/ संपूर्ण विद्यालय के मुख्य पक्ष: विद्यालय में बच्चों की पहुँच (बाधा मुक्त आगमन), विद्यालय परिसर में बच्चों के अनुभव (बच्चों के मैत्रीपूर्ण मूल तत्व साइकिल, वाहनों के लिए पड़ाव स्थल के साथ), कक्षाकक्ष में बच्चों के अनुभव (स्थान, बैठने की व्यवस्था की विशेषता, प्रकाश, वायु संचालन, बरामदा), विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा (आग, पानी, वायु और आपातकालीन दैवीय स्थितियाँ), प्रभावी अधिगम के लिए विद्यालय में सुविधायें, (शिक्षा शास्त्रीय उपयोग के लिए भीतरी एवं बाहरी स्थान) मध्यान्ह भोजन के लिए सुविधा, प्रत्येक छात्र के लिए पेयजल और प्रसाधान गृह (पर्याप्त पेयजल और स्वच्छता) खेलकूद एवं मनोरंजन की सुविधा, बागवानी के लिए सुविधायें, अनुभवजन्य अधिगम, अन्वेषण, पूछताछ, खोज आदि के लिए अत्यधिक गतिविधियों के साथ बच्चों के प्रति केन्द्रित एवं मैत्रीपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन। (प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं के साथ संयोजन पाठ्यक्रम-3,खण्ड-1

इकाई 6: शिक्षक और विद्यालय

विद्यालय के संदर्भ में शिक्षक, विद्यालय प्रणाली में इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान का हस्तक्षेप, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास (विद्यालय पर्यावरण में व्यवसायिक विकास का स्थान निर्धारण करना, विद्यालय समुदाय की भागीदारी को सम्मिलित करते हुए सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से व्यवसायिक विकास कार्यक्रम), शिक्षक नेतृत्व।

इकाई 7: शिक्षक नेतृत्व

नेतृत्व की संकल्पना, नेतृत्व के प्रकार (प्रजातांत्रिक, निरंकुश), नेता और बहिष्कृत, नेतृत्व कौशल, शिक्षक

सामर्थ्य, ज्ञान, निष्पादन और शैक्षिक परिवर्तन के लिए वचनबद्धता, विश्वासोत्पादक वार्तालाप, निर्णय निर्माण एवं समस्या समाधान।

इकाई 8: शैक्षिक अभिकरणों के साथ संबंध

शिक्षा संगठनों की भूमिका SSA। संरचनायें (DRC,BRC,CRC) प्रशिक्षण और पाठ्यचर्या प्रारंभिक शिक्षा अभियान का सार्वभौमिकरण, (SSERT, DIET) प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर विकासात्मक चरणों में सहायता के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों की भूमिका, शिक्षा के अभिकरणों की संकल्पना, शिक्षा के अभिकरणों के प्रकार, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के साथ शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों का संपर्क, मुख्य अध्यापकों की भूमिका और शिक्षक बनाम समाज।

खण्ड-3: विद्यालय समुदाय अतं:सम्बन्ध का प्रबंधन

ईकाई-: 9: समुदाय की गतिशीलता (अभ्यास आधारित)

विद्यालय शिक्षा में समुदायों को गतिशील बनाने के रास्ते व साधन; अध्ययनवृत्त, राज्यों में चारों तरफ अच्छे अभ्यास (अध्यापक नेतृत्व, समुदाय की गतिशीलता पर समुदाय आधारित परियोजना का संयोजन)

इकाई 10: विद्यालय प्रबंधन

विद्यालय प्रबंधन का अर्थ एवं प्रकृति, प्रबंधन के घटक एवं उनके नियम (योजना बनाना, बजट बनाना, संगठन बनाना, निर्देश देना, नियंत्रण करना, समन्वय, निर्णय निर्माण, गतिविधियाँ का मूल्यांकन और कार्यक्रम) प्रबंधन के प्रकार:भागीदारी, बिना भागीदारी, भागीदारी प्रबंधन की प्रक्रिया।

इकाई 11: विद्यालय एवं समुदाय के संसाधन का प्रबंधन

संसाधनों के प्रकार: मानवीय, भौतिक और आय के वित्तीय साधन- सरकार, अन्य अभिकरण, स्थानीय निकाय, समाज द्वारा स्वैच्छिक अंशदान, दान, परीक्षा शुल्क की बचत।

इकाई 12: विद्यालय समुदाय भागीदारी के प्रबंधन उपागम

प्रबंधन उपागम: अर्थ, प्रकृति, विस्तार, उपागमों के प्रकार, मानवश्रम

- लागत लाभ
- सामाजिक माँग
- सामाजिक न्याय

विद्यालय और समुदाय भागीदारी को सशक्त बनाने में प्रत्येक उपागम की सार्थकता। प्रबंधन और विद्यालय समुदाय भागीदारी में विभेदीकरण करना और दोनों अभिकरणों के मध्य संबंध के सशक्तिकरण की प्रक्रिया।

सम्पूरक सामग्री: राज्यभर में समुदाय की गतिशीलता के केस पर वीडियो।

समूह 2: प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय विषयों का शिक्षण-अधिगम

NCF 2005 विभिन्न विषय क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए सभी योजनाओं को दिशा निर्देश प्रदान कर रहा है। यह पाँच मुख्य दिशा निर्देशक सिद्धांतों के इर्द-गिर्द केन्द्रित है:-

1. विद्यालय के बाह्य ज्ञान को जीवन से जोड़ना।
2. सुनिश्चित करना कि अधिगम परंपरागत विधियों से हटकर हो।
3. पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से बाहर हो।
4. परीक्षाओं को अत्यधिक नमनीय बनाना और उनको कक्षाकक्ष जीवन से एकीकृत करना।
5. देश की प्रजातांत्रिक राजनीति के अन्तर्गत सम्बद्ध लोगों द्वारा सूचित एक दमनकारी पहचान को पोषित करना।

पाठ्यक्रम 5: 503-प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण

पाठ्यक्रम का प्रारूप-

- भाषा-शिक्षण के कौशलों को विकसित करना।
- युवा अधिगमकर्ताओं और उनके अधिगम संदर्भ को समझना।
- क्षेत्र-आधारित कुछ इकाईयाँ

मूलाधार और लक्ष्य

यह पाठ्यक्रम प्रारंभिक स्तर पर **अधिगम कर्ताओं** के भाषा शिक्षण पर केन्द्रित है। भाषा-शिक्षण में छात्र शिक्षक के समकालीन अभ्यासों को निखारना भी इसका लक्ष्य है। यह पाठ्यक्रम भाषा शिक्षण के रचनात्मकतावादी उपागम पर आधारित है। शिक्षक एक वातावरण सृजित करने में समर्थ होगा जो कि अधिगमकर्ताओं को भाषा अधिगम के साथ प्रयोग करने को प्रोत्साहित करेगा।

विशिष्ट उद्देश्य:-

- अध्यापकों को भाषा शिक्षण अधिगम के सामान्य सिद्धांतों को समझने में समर्थ बनाना।
- भाषा शिक्षण के लिए कक्षाकक्ष प्रबंधन कौशलों, प्रक्रियाओं और तकनीकों को विकसित करना।
- भाषा मूल्यांकन के मुद्दे और कक्षाकक्ष शिक्षण में उनके प्रभाव का परीक्षण करना।
- प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण की सामर्थ्य विकसित करना।
- भाषा मूल्यांकन के मुद्दे और कक्षाकक्ष शिक्षण में उनके प्रभाव का परीक्षण करना।
- प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण की सामर्थ्य विकसित करना।
- भाषा के संबंध में-संकल्पना, प्रकृति, संरचना, कार्यों और महत्व की समझ विकसित करना।

- भाषा अधिगम एवं अर्जन की प्रक्रियाओं में दृष्टिकोण विकसित करना।
- भाषा शिक्षण को विविध उपागमों, विधियों और तकनीकों के साथ परिचय विकसित करना।
- एक प्रभावी भाषा शिक्षक होने के लिए आवश्यक कौशलों को तीक्ष्ण करना।

खण्ड–: भाषा की समझ

इकाई 1: भाषा क्या है?

- भाषा: संकल्पना, कार्य, महत्व
- भाषा–विज्ञान और व्याकरण, मानक भाषा की संकल्पना
- भाषा का सामाजिक संदर्भ; भाषा का मनोविज्ञान
- भाषा कौशलों: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना
- भाषा और साहित्य

इकाई 2: भारतीय भाषाएँ

- भारत में भाषायें–अनुसूचित भाषायें, मातृ भाषायें & क्षेत्रीय भाषायें; शास्त्रीय भाषायें (संस्कृत, अरबी, फारसी); कार्यालयी भाषा
- भारत में हिन्दी का स्थान
- भारत में अंग्रेजी का स्थान
- भारत में भाषा शिक्षा नीति — त्रि भाषा सूत्र; NCF 2005

इकाई 3 : भाषा शिक्षण–अधिगम

- भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम।
- भाषा अधिगम के सामाजिक भाषायी एवं मनोभाषायी आधार।
- भाषा–अधिगम में व्याकरण की भूमिका।
- भाषा शिक्षण की विविध विधियाँ एवं उपागम — व्याकरण, अनुवाद, सरंचनात्मक उपागम, अभिव्यक्तिशील उपागम।
- मन में मूल्यों **को बैठाना और भाषा–शिक्षण–अधिगम के माध्यम से जीवन कौशलों का विकास तथा साहित्य।**
- भाषा में अधिगम अशक्तता — Dyslexia और dyslexics

खण्ड 2: भाषा अधिगम संबंधित कौशल

इकाई 4: सुनना व बोलना

- मौखिक —भाषा शिक्षण के श्रवण संबंधी उपागम।
- कक्षाकक्ष शिक्षण में श्रवण एवं वाचन की तकनीकें: नर्सरी की तुकान्त कवितायें, कविता पाठ, नाटकीकरण और रोल प्ले, संवाद, कहानी कहना, जोड़ियों एवं समूह में विचार विमर्श, पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ — प्रतियोगितायें, वाद विवाद, वक्तृता, काव्य-पाठ, तात्कालिक भाषण आदि।
- साधन — श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम : भाषा-प्रयोगशाला
- श्रवण बोध एवं वर्तनीगत शुद्धता जाँचने के लिए एक तकनीक के रूप में श्रृतलेखन (एक अच्छे अधि गमकर्ता को सुनकर शुद्ध वर्तनी लिखने में योग्य होना चाहिए।
- शुद्धता बनाम धाराप्रवाहिता।

इकाई 5 : पठन कौशल/पढ़ना

- भाषा में पढ़ने का महत्व, धीरे एवं तेज पढ़ने में अंतर
- पढ़ने की शिक्षण-अधिगम विधियाँ या उपागम: ध्वनिक, वर्णमाला, शब्द, वाक्य, भाषण विधियाँ, मनोभाषायी उपागम — अर्थ बनाम पठन में लेखाचित्र।
- शिष्यों के मन में पढ़ने के प्रति प्यार बैठाना, खुशी के लिए पढ़ना और ज्ञान के लिए पढ़ना, पुस्तकालयों, कक्षा पुस्तकालयों का सहयोग, सहपाठियों के बीच पुस्तकों का आदान-प्रदान, कल्पना, कहानी की पुस्तकें, समाचारपत्र आदि।
- व्यक्तित्व विकास के लिए पुस्तक उपचार : पढ़ना और पुस्तकों पर विचार विमर्श करना।
- पाठन को लेखन के साथ जोड़ना — पठन बोध, पुस्तकों और अपठित गंद्यांशों से अवगत होना : बोध जाँचने के लिए व्याख्या करना और संक्षेपण करना।
- शब्दावली निर्माण — सक्रिय एवं निष्क्रीय शब्दावली।

इकाई 6 : लेखन कौशल

- लेखन की शुरुआत — वर्णमाला का अभ्यास, शब्दों, वाक्यों:- महत्व और अच्छे हस्तलेखन के तत्व — स्पष्ट एवं सौन्दर्यपूर्ण लेखन, अच्छे हस्तलेखन के लिए बच्चों की मदद करना, हस्तलेखन और व्यक्तित्व, Dyslexia के सूचक के रूप में हस्तलेखन।
- अच्छे लेखन के गुण:- व्याकरिणक शुद्धता, अभिव्यक्तिशील — सुबोधगम्यता एवं संक्षिप्तता, सामान्य बनाम अलंकृत भाषा।
- प्रारंभिक कक्षाओं में लेखन कौशल शिक्षण की तकनीकें, तस्वीर संयोजन, दिये गये रेखा चित्र से कहानी विस्तार करना आदि।
- उन्नत लेखन गतिविधियाँ : अनुच्छेद एवं निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन।

खण्ड 3: भाषा सीखना

इकाई 7: साहित्य एवं भाषा

- भाषा अधिगम में साहित्य की भूमिका
- साहित्य शिक्षण के उद्देश्य — संवेदनशीलता और भावुकता, सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता, जीवन और लोगों की समझ।
- साहित्य के विभिन्न प्रकारों/शैलियों को कैसे पढ़ायें — कविता, नाटक और गद्य — निबंध, छोटी कहानियाँ, उपन्यास, कथा साहित्य और वैज्ञानिक लेखन।
- साहित्य के माध्यम से मूल्यों का विकास
- कक्षाकक्ष शिक्षण के लिए इकाई योजना विकसित करना

इकाई 8: भाषा की कक्षा में शिक्षण योजना

- पाठ योजना की संकल्पना और महत्व
- श्रवण–वाचन कक्षा
- पठन–कक्षा
- लेखन–कक्षा
- गद्य
- पद्य

इकाई 9 शैक्षिक सामग्री : कुछ नये आयात

- मुद्रित सामग्री
- मल्टीमीडिया — श्रव्य, दृश्य
- शिक्षक निर्मित कम लागत वाले साधन
- तकनीक का प्रयोग : भाषा प्रयोगशाला, वेब आधारित शिक्षण - अधिगम इकाई -10 :- भाषाओं में मूल्यांकन और निर्धारण
- 4 कौशलों में क्षमता के मूल्यांकन की तकनीकें — श्रवण, वाचन, पठन और लेखन।
- पाठ्य पुस्तक आधारित नियत कार्य — गद्य, पद्य, नाटक।

इकाई 10 : मूल्यांकन और आकलन

- **4 कौशलों में क्षमता के मूल्यांकन की तकनीकें श्रवण, वाचन, पठन और लेखन**
- **पाठ्य पुस्तक आधारित नियतकार्य, गद्य, पद्य, नाटक**

पाठ्यक्रम-6 : 504 प्रारंभिक स्तर पर गणित का अधिगम

a. परिचय :- शिक्षा के प्रारंभिक स्तर के लिए NCF 2005 के आधार पर प्रतिपादित गणित का संशोधित पाठ्यक्रम गणित शिक्षा में नूतन विकासों और झुकावों पर चितंन करना है। यह गणित के शिक्षण और अधिगम में संकल्पनात्मक समझ, कौशल क्षमता और चिन्तन कौशलों पर बल प्रदान करना है। ये सामर्थ्य गणितीय समस्या समाधान योग्यता के विकास के लिए अनिवार्य हैं। तर्कशीलता, अनुप्रयोगों और तकनीक के प्रयोग पर भी बल प्रदान करने की आवश्यकता है तकनीक की उन्नति हमारे पढ़ाने के तरीकों को बदले देती है और गणित की तकनीक सीखाता है। छात्रों को अवसरों की आवश्यकता है गणित को संचारित करने और कारण ढूढ़ने की। उनमें विचार विमर्शों को प्रोत्साहित करना और गतिविधियों में व्यस्त रहना अपेक्षित है जहाँ वे संभावनाओं को खोज और संयोजित कर सकें। ये गुणात्मक परिवर्तन गतिविधि आधारित और अधिगमकर्ता केन्द्रित प्रणालियों तथा शिक्षण और अधिगम उपागमों में परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं।

b. उद्देश्य:-

- यह पाठ्यक्रम अग्रदर्शी शिक्षक को समर्थ बनायेंगा:-
- प्रारंभिक गणित शिक्षा से संबंधित मुद्दों और स्थिति पर विचार करने में।
- प्रारंभिक गणित के मूलों पर प्रवीणता प्राप्त करने में।
- प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण के शिक्षा शास्त्रीय कौशलों को प्राप्त करने में।
- गणित अधिगम और शिक्षण में तकनीक यंत्रों के साथ विविध गणितीय यंत्रों के प्रयोग को प्रभावी बनाने में।
- गणितीय संकल्पनाओं में युवा बच्चों के अधिगम और निष्पादन के मूल्यांकन का कौशल प्राप्त करने और गणित में उनकी समझ एवं निष्पादन को समृद्ध करने में, कौशलों के प्रयोग में।

खण्ड 1- विद्यालय के प्रारंभिक स्तर पर गणित सीखने का महत्व

इकाई 1 : बच्चे गणित कैसे सीखते हैं?

- तरीका जैसे बच्चा सोचता है।
- संज्ञानात्मक विकास के स्तर।
- गणितीय संकल्पना का विकास।
- प्रारंभिक बचपन के दौरान गणित अधिगम।
- गणित अधिगम के तरीके।
- गणित का डर।
- गणित अधिगम को आनंददायक बनाना।

इकाई 2: गणित एवं गणितीय शिक्षा : महत्व, क्षेत्र एवं सार्थकता

- गणित की प्रकृति : तार्किकता, परिशुद्धता, सुव्यवस्थित, पृथक्करण पर लक्षित करना।
- प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व और विस्तार :-

  ज्ञान की सभी शाखाओं से सम्बन्धित सभी प्रकार के अनुभवों को वास्तविक जीवन के अनुभवों को विकसित करना, वास्तविक जीवन स्थिति में प्रस्तुत समस्याओं के समाधान में गणित का ज्ञान अपेक्षित है।

इकाई 3: गणित शिक्षा के उद्देश्य एवं परिप्रेक्ष्य

- गणित शिक्षा के उद्देश्य :- विद्यालय स्तर पर गणित शिक्षा के विस्तृत एवं संकुचित लक्ष्य। प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर गणित शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य।
- विद्यालय गणित के दर्शन :- विद्यालय में गणित शिक्षा और बच्चे। कक्षाकक्ष और पाठ्य पुस्तकों से स्तर गणित शिक्षा का विस्तार। विद्यालयी गणित शिक्षा में समस्यायें। गणित अधिगम को आनंदपूर्ण अनुभव बनाना।

इकाई 4 : अधिगमकर्ता और अधिगम केन्द्रित प्रणालियाँ/विधियाँ

- गणित संकल्पनाओं के शिक्षण में उभरते झुकाव : प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर गणित शिक्षक के संज्ञानात्मक, संरचनात्मक, अनुभवजन्य और गतिविधि आधारित उपागम।

  प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण-अधिगम की विधियाँ:- आगमनात्मक और विगमनात्मक, परियोजना, समस्या उठाना और समस्या समाधान, ICON प्रारूप विधि, S-E निर्देशात्मक विधि, संकल्पना मानचित्रण।

  गणित अधिगम को अधिक चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक बनाना : प्राथमिक स्तर के छात्रों में सृजनात्मक योग्यतायें विकसित करने के लिए गतिविधियाँ (गणित क्लब का संघटन, क्षेत्र अध्ययन, सेमिनार, संगोष्ठी, गणित मेला आदि)। सृजनात्मक सोच के लिए गणित प्रयोगशाला और पुस्कालय का उपयोग।

  गणित को संचारित करना : गणित पाठ्यचर्चा और कक्षाकक्ष अभ्यास, गणित के शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में पाठ्य-पुस्तकों की भूमिका, गणित प्रयोगशाला, संसाधन कक्ष, गणित के डर को दूर करने और असफलता से लड़ने के लिए अधिगमकर्ता के साथ अंत:क्रिया। प्रारंभिक विद्यालयों के गणित पाठ्यचर्चा से प्रत्यक्ष उदाहरणों के साथ प्रत्येक उपागमों एवं विधियों पर विचार विमर्श करना। केवल सही परिणाम पर पहुँचने की अपेक्षा एक गणितीय समस्या के समाधान की सभी संभव वैकल्पिक प्रक्रियाओं की खोज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

खण्ड 2 : गणितीय प्रत्ययों एवं विधियों का संवर्धन

इकाई 5: संख्यायें एवं संख्याओं पर संक्रियाएं

- संख्या और संख्यापद, संख्या प्रणाली (प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, भिन्न और दशमलव)

संख्याओं पर चार संक्रियाओं का निष्पादन, आकलन कौशलों का विकास और मानसिक संगणना के निष्पादन की योग्यता, अंश, गुणात्मक, H.C.F. और L.C.M

- दैनिक जीवन की परिस्थितियों में अंकगणित का अनुप्रयोग, (पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और दशमलव) प्रतिशतता, ब्याज, लाभ और हानि, कार्य और समय।

इकाई 6: आकृतियाँ और स्थानिक संबंध

- मूल ज्यामितीय संरचनायें : अपरिभाषित शब्दावली — बिन्दु, रेखा और समतल, मौलिक ज्यामितीय संकल्पनायें — रेखा खण्ड, किरणें, कोण और कोणों का माप, समानान्तर और प्रतिच्छेदी रेखायें।
- ज्यामितीय आकृतियाँ:- द्वि और त्रिविमीय आकृतियाँ, आकृतियों के प्रारूप और प्रतिमान, सर्वांगसमता और समानता, अनुवाद, परावर्तन और घूर्णन, सममिति, ज्यामितीय यंत्रों का प्रयोग कर संरचना, आकृतियों में प्रतिरूप।

इकाई 7 : माप और मापन

- मापन के रूप में दो समान वस्तुओं की तुलना
- लम्बाई, क्षेत्र, भार और आयतन के मान और अमानक माप
- मापन की मेट्रिक प्रणाली
- समय का मापन

इकाई 8 : आँकड़ों का प्रबन्धन

- डाटा का संग्रहण, संगठन और प्रस्तुतीकरण।
- डाटा के विश्लेषण और व्याख्या के लिए प्रारंभिक सांख्यिकीय तकनीकें।
- डाटा का चित्रात्मक चित्रण।

इकाई 9 : सामान्यीकृत अंकगणित के रूप में बीजगणित

- बीजगणितीय शब्दावली और अभिव्यक्ति, बीजगणितीय शब्दावली पर संक्रिया।
- प्रतिरूपों के द्वारा सामान्यीकृत परिणामों को अभिव्यक्त करने में अज्ञात मानों का उपयोग, समस्याओं को उनके गणितीय संरचना में बदलना और तब उनको बीजगणितीय समीकरणों से हल करना।

  गणितीय संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण के समय उन्हें उपयुक्त विधियों और उपागमों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए जैसा कि खण्ड 1 के इकाई 4 में वर्णित किया गया है। ये संकल्पनायें कक्षाकक्ष में कार्य सम्पदान की प्रक्रिया में शुद्धता के लिए सम्बद्ध की जानी चाहिए।

खण्ड 3 : गणित में अधिगमकर्ता का आकलन

इकाई 10 : गणित अधिगम के आकलन के उपागम

- पारंपरिक और उभरते उपागम : पारंपरिक उपागम के लक्षण, गतिविधि आधारित उपागम में मूल्यांकन के लक्षण। प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन के लिए जुड़े हुए गणितीय अधिगम को निभायें।

- मूल्यांकन में उभरते हुए चलन : स्व-मूल्यांकन, साथी/समूह मूल्यांकन, सहयोगी मूल्यांकन, पोर्टफोलियो मूल्यांकन, सत्रीय कार्य के जरिये मूल्यांकन, परियोजनायें और संकल्पना मानचित्रण।

इकाई 11 : आकलन के साधन एवं प्रविधियाँ

- सतत एवं समग्र मूल्यांकन, मौखिक और कागज-पैंसिल जाँच, कक्षाकक्ष कार्य संपादनों और मूल्यांकन जाँचों में मुक्त सिरा प्रश्नों का अत्यधिक उपयोग। सक्षमता आधारित वस्तुओं का विकास, इकाई जाँच परीक्षाओं की तैयारी।

- अवलोकन के जरिये छात्रों की रुचियों का मूल्यांकन, प्रदर्शनियों में भागीदारी, क्विजों, पहेलियों, खेलों, शिक्षण अधिगम सामग्रियों का विकास।

- प्रारंभिक स्तर पर गणित में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के आयोजन के लिए बहुपयोगी सेट।

इकाई 12 : गणित अधिगम के आकलन हेतु फोलोअप/अनुकरण

- मूल्यांकन के द्वारा सूचना : प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए मूल्यांकन सूचना के संग्रहण एवं साक्ष्यांकन की विधि, अधिगमकर्ताओं, उनके अभिभावकों एवं अन्य साझीदारों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना।

- मूल्यांकन का अनुकरण :- गणितीय अधिगम की संकल्पनाओं एवं प्रक्रियाओं में कमजोरी और ताकत का आकलन, योजना और उपचारी माप प्रदान करना तथा अधिगमकर्ता को संकल्पना में ताकत देने के लिए अतिरिक्त समृद्ध गतिविधियां उपलब्ध कराना।

पाठ्यक्रम 7 : 505 - प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का अधिगम

9. परिचय

विद्यालय के प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा में दृष्टिकोण बनाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं के वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का एक एकीकृत संदर्भ के लिए प्रारूपित किया गया है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा अधिगमकर्ताओं की विवेचनात्मक चिन्तन कौशलों के वैश्विक नागरिक बनाने तथा प्राकृतिक वातावरण के लिए संवेदनशील एवं आदर और सामाजिक आर्थिक पर्यावरण के प्रति व्यवहारिक होने के बारे में मदद करता है। यह पाठ्यक्रम आपको आपके पर्यावरण और पर्यावरण शिक्षा की समझ को बल प्रदान करेगा। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के साकल्यवादी परिप्रेक्ष्य और पर्यावरण अध्ययन के अभिप्राय को विकसित करने में यह आपकी मदद भी करेगा।

औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकें नीति और अभ्यास के मध्य मार्मिक संबंध प्रदान करता है, जबकि यदि केवल पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों को छोड़ दिया जाये तो अध्ययन प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। औपचारिक शिक्षा प्रणाली के लिए शिक्षक मुख्य हैं। शिक्षक की सक्रिय भागीदारी एवं नवीनता प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम के लिए निर्णायक हैं।

पर्यावरण विषय के संयोग में यह पाठ्यक्रम विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम तकनीकों से सामना करता है जो कि आपको आपके कक्षाकक्षों में अधिगम पर्यावरण सृजित करने में मदद करेगा जो

विद्यार्थी केन्द्रित और बच्चों द्वारा चालित अधिगम के लिए अनुकूल है। पाठ्यक्रम का प्रारूप इस तरह से प्रारूपित किया गया है कि यह आपको शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर नये विचारों के साथ पर्यावरण अध्ययन के प्रभावी कार्य संपादन के लिए समर्थ बनायेगा। हम उम्मीद करते हैं कि औपचारिक शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लक्ष्य को निष्पादित करने में आप इस पाठ्यक्रम को लाभदायक पायेंगे।

पाठ्यक्रम उद्देश्य :-

यह कार्यक्रम शिक्षक को समर्थ बनायेगा —

- पर्यावरण के महत्व और संकल्पना को समझने में।
- पर्यावरण के साकल्यवादी परिप्रेक्ष्य को विकसित करने में।
- प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के बारे में अधिगम के महत्व को स्वीकार करने में।
- अन्त:क्रिया और अनुभवजन्य अधिगम पर लक्ष्य के साथ प्राथमिक बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण-अधिगम गतिविधियों का प्रारूप बनाने में।

  प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तरों, अधिगम परेशानियों को पहचानने और भविष्य की समृद्धि के लिए उपयुक्त रणनीतियों के प्रारूप का मूल्यांकन करने में।

B. प्रणाली

विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन के प्रभावी शिक्षण अधिगम को स्वीकृत करने में यह आवश्यक है कि शिक्षकों को उनकी पर्यावरण के विषय में समझ को बढ़ाने में सहायता दी जाये और इसको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ सम्बद्ध किया जाये। इस समझ का विकास करना विवेचित है क्योंकि अन्य विषयों को बहुत नापमंद किया जाना समझा जायेगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को समाविष्ट करते हुए पर्यावरण अध्ययन एक समेकित विषय है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के लिए इस प्रकार सम्बन्ध एवं संयोजन स्थापित करना निर्णायक है। यह पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम के एक क्षेत्र के रूप में पर्यावरण अध्ययन की समझ एवं अदभुतता बढ़ाने में शिक्षक एवं शिष्यों को पर्याप्त सूचना, समय और स्थान प्रदान करता है।

इस संबंध में यह सुनिश्चित करें कि कक्षाकक्ष में पर्यावरण अध्ययन का सुरक्षित है। शिक्षक शिष्यों के पुनरावलोकन चिन्तन और विश्लेषण के तरीके जिससे वे कक्षाकक्ष में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों को व्याख्यायित और कार्य संपादित करते हैं महत्वपूर्ण है। यह पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों की संरचना और प्रारूप के पीछे के दर्शन एवं कारण को विमर्शित करता है। यह आगे तर्क प्रस्तुत करता और न्यायसंगत ठहराता है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को व्यवहारिक, अन्वेषणात्मक और वास्तविक जीवन पर आधारित होना अपेक्षित है।

एक विद्यालय में चयनित समुदाय सदस्यों के सहयोग से अभ्यास में लायी गयी वास्तविक जीवन पर आधारित और व्यवहारिक गतिविधियाँ न केवल विद्यालय में शिक्षकों एवं शिष्यों को सार्थक योगदान दे सकती है बल्कि विद्यालय को समुदाय तक पहुँचने में समर्थ बना सकती है।

कुछ ऐसी शिक्षण अधिगम गतिविधियों को सामान्य एवं रूचिपूर्ण अन्वेषणात्क गतिविधियों के सहयोग से अभ्यास में लाया जा सकता है। जो कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों पर उत्तरदायी की जा सकती है। यह पाठ्यक्रम शिक्षक-शिष्यों को 'मूल्यांकन के उद्देश्य एवं प्रणाली को अनभूत करने के तरीके का पुनरावलोकन करने को प्रोत्साहित करता है। नूतन शिक्षण अधिगम तकनीकों से मूल्यांकन के उद्देश्य एवं इसके लिए प्रयुक्त यंत्रों एवं तकनीकों को पुनः व्याख्यायित करना अपेक्षित होगा।

विषय वस्तु

खण्ड 1 : प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम का महत्व

इकाई 1 : अधिगम के प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण का महत्व

- पर्यावरण की समझ
- पर्यावरण का महत्व : पर्यावरण के प्रकार — प्राकृतिक और मानव निर्मित, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। प्रकृति के संरक्षण की आवश्यकता, परिवार पड़ोस, समाज, राष्ट्र और विश्व में अन्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन।
- पर्यावरण और बच्चा : बच्चे की उन्नति और विकास पर पर्यावरण का महत्व। बच्चे को उसके पर्यावरण का बोध।
- अधिगम के पर्यावरण का मूल्यांकन करना।

इकाई 2 : प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण-अधिगम के उद्देश्य एवं क्षेत्र

- प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन क्यों?
- NCF 2005 के विशेष संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के उद्देश्य।
- पर्यावरण अध्ययन में अन्तर्निहित मूल्य।
- शिक्षण मूल्य :- प्रेक्षण कौशलों, सह संबंध प्रायोगिकरण, अज्ञात मूल्य।
- हमारे पर्यावरण का मूल्यांकन :- भारतीय परम्परा।

इकाई 3 : पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के शिक्षण शास्त्रीय विचार

- पर्यावरण अध्ययन का लक्षण :- समेकित, सांदर्भिक, अधिगमकर्ता केन्द्रित, न सही न गलत, मूल्य पर्यावरण अध्ययन के अनिवार्य घटक हैं।
- बच्चे कैसे सीखते हैं?
- पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम का शास्त्रीय संगठन :- बच्चे का पर्यावरण

  — अधिगम प्रयोगशाला

  — अन्वेषण का सरलीकरण, मूर्त से अमूर्त और ज्ञान से अज्ञान की ओर।

— कक्षाकक्ष में जीवन आधारित अधिगम।

— अनुशासन का अभाव

— संवाद एवं प्रश्न पूछने को बढ़ावा

— शिक्षक की भूमिका

- बच्चे के ब्रह्मांड का विस्तार

इकाई 4: प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्यात्मक प्रावधान

- NCF 2005 के विशेष संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य।
- पाठ्यक्रम से पाठ्य पुस्तक की ओर।
- कक्षाकक्ष और पाठ्यपुस्तक से बाहर जा ज्ञान।
- पर्यावरण अध्ययन के कार्य संपादन में उपस्थित चुनौतियाँ।

खण्ड 2: पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या एवं शिक्षा-शास्त्र

इकाई - 5 : पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण-अधिगम हेतु उपागम : क्रिया आधारित अधिगम एवं सहयोगी अधिगम

- पर्यावरण अध्ययन के संकल्पना के कार्य संपादन में गतिविधि आधारित उपागम। समूह आधारित सहयोगी और सहकारी उपागम।
- सहकारी अधिगम में चुनौतियाँ।

इकाई 6 : पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण-अधिगम की विधियाँ

- प्रेक्षण की विधियाँ, सृजनात्मक अभिव्यक्ति (नाटक, नृत्य, कठपुतली, संगीत, सृजनात्मक लेखन), क्षेत्र भ्रमण परियोजना, छोटे समूह विचार विमर्श, प्रयोग, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना के शिक्षण अधि गम की प्रक्रिया में समस्या समाधान।

इकाई 7 : पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण और अधिगम की योजना बनाना

- दैनिक पाठ नोंटों की तैयारी और वार्षिक पाठ योजना
- पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं पर विषय आधारित पाठ-योजना की तैयारी।
- पर्यावरण अध्ययन के अधिगम क्षेत्र का विकास करना और उनका उनके दैनिक एवं वार्षिक शिक्षण योजना में उपयोग करना।

इकाई 8 : पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण-अधिगम हेतु संसाधन एवं सामग्री

- पर्यावरण अध्ययन के लिए स्थानीय अधिगम संसाधनों और स्थानीय साधन सेवियों की पहचान करना। उपयुक्त शिक्षण अधिगम रणनीतियों के लिए स्थानीय अधिगम संसाधनों का उपयोग करना।

- विद्यालय/घर के पर्यावरण में उपलब्ध तत्वों के द्वारा कम लागत एवं बिना लागत के अधिगम सामग्रियों एवं अधिगम गतिविधियों का संग्रहण एवं सृजन करना।
- सामग्रियों का संसाधन कक्ष : समुदाय संसाधन, अन्य संसाधनों का विकास, रखरखाव और इस्तेमाल, समाचार पत्र प्रतिवेदनों, चलचित्रों, तस्वीरों, फोटोग्राफ, बीजों का संग्रह, फूलों इत्यादि, स्थानीय क्षेत्रों का मानचित्र, प्रतिमानों का मानचित्र।
- पर्यावरण अध्ययन के लिए सांदर्भिक TLMs का संग्रहण, सृजन, भंडारण और प्रयोग में बच्चों एवं समुदाय के सदस्यों की भूमिका को समझना।

खण्ड 3 : पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन

इकाई 9 : पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का मूल्य निर्धारण

- शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित मूल्यांकन
- पर्यावरण अध्ययन के अधिगम उद्देश्यों के संदर्भ में अधिगम के मूल्यांकन के आवश्यक उद्देश्य
- पर्यावरण अध्ययन में अधिगम के मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों पर विचार विमर्श, पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन।
- मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के लक्षण।
- अधिगम केन्द्रित मूल्यांकन।

इकाई 10 : पर्यावरण अध्ययन में अधिगम आकलन के उपकरण एवं तकनीकें

- विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन यंत्रों का विकास चुनाव और प्रयोग
  - — जाँच परीक्षायें
  - — प्रेक्षण अनुसूची
  - — श्रेणी पैमाना
  - — श्रव्य-दृश्य अभिलेखन
- मूल्यांकन तकनीकें
- अधिगम उद्देश्यों के मूल्यांकन पर विचार

इकाई 11 : मूल्यांकन के परिणामों का अध्येताओं की समझ की वृद्धि के लिये उपयोग करना

- बच्चों के साथ मूल्यांकन परिणामों का अभिलेखन एवं साझा करना।
- विद्यार्थियों के ताकत एवं कमजोरी को पहचानना एवं विश्लेषण करना।
- शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं का पुनरावलोकन करना और सुधार करना।

- पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना, अधिगम की सशक्तिकरण के लिए योजना बनाना और समृद्ध बनाने वाली गतिविधियों का आयोजन करना।

पाठ्यक्रम 8 : 508- प्रारंभिक स्तर पर कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा का अधिगम

पाठ्यक्रम का प्रारूप

इस पाठ्यक्रम का प्रारूप कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा में साकल्यवादी अधिगम प्रदान करने के लिए किया गया है। प्रारंभिक शिक्षकों में पर्याप्त ज्ञान प्रदान करने तथा इच्छित कौशलों की समृद्धि के लिए सभी तीनों घटकों को आवृत किया गया है ताकि वे अपने शिष्यों को इन क्षेत्रों में अधिगम करने के लिए सरलीकरण के योग्य बना सकें। विषय पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक को उनके महत्व के अनुसार अलग-अलग नीचे दिया गया है :-

1. कला शिक्षा

पाठ्यक्रम के मूलाधार और उद्देश्य

कला शिक्षा अधिगमकर्ताओं के मध्य सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए सार्थक अवसर प्रदान करता है। यह समाज की संस्कृति को समझने एवं आदर करने के लिए जीवन कौशलों की समृद्धि, मूल्यों को मन में बैठाने और संवेदनशीलता विकसित करने में सहायता करता है। कला जबकि एक आंतरिक अनुभव, कुछ चीजों की अनुभूति, विवेचन और उसके अनुसार जीने का दृश्य या निष्पादन है। यह दोनों 'करना' और होता है। विद्यालय शिक्षा के प्रारंभिक शिक्षकों से अपेक्षित है कि वे अपने शिष्यों में कलात्मक विकास की प्रक्रिया को समझें। उनकी सृजनात्मक अभिव्यिक्ति और उनमें प्रायोगिक अधि गम के लिए एक प्रेरक वातावरण सृजित करें। एक अच्छी तरह से प्रारूपित कला शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रत्येक शिक्षक शिष्य में सौन्दर्यात्मक समझदारी, कलात्मक योग्यता और सृजनात्मक कौशलों का विकास कर सकता है।

विशिष्ट उद्देश्य :-

- प्रशिक्षु अध्यापक योग्य होगा :-
- कला शिक्षा को समझने और रसास्वादन करने में।
- कला शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की कलाओं के ज्ञानार्जन में।
- प्रत्येक बच्चे के साकल्यवादी विकास के लिए कला शिक्षा को अभिष्ट बनाने में।
- विभिन्न कला रूपों की सुन्दरता के प्रति जवाब व्यक्त कर मौलिक अन्वेषण, अनुभव और मुफ्त अभिव्यक्ति के माध्यम से कलात्मक और सौन्दार्यत्मक समझदारी का विकास करना।
- प्रारंभिक विद्यालय के पाठ्यचर्या के इर्दगिर्द के विभिन्न कला रूपों को एकीकृत करना।

खण्ड 1 : - कला शिक्षा

इकाई 1 : कला और कला शिक्षा की समझ (सैद्धांतिक)

I. कला शिक्षा का अर्थ एवं संकल्पना :- दृश्य एवं निष्पादित कला और विद्यालय शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर उनकी सार्थकता।

II. बच्चों को कला की समझ

III. विद्यालय शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा (दृश्य एवं निष्पादित) का महत्व।

IV. क्षेत्रीय कला और शिल्प एवं शिक्षा में उनकी सार्थकता।

इकाई 2: दृश्य कला एवं शिल्प (प्रायोगिक)

I. दृश्य कला की सामग्रियों के साथ प्रयोग जैसे पेंसिल, पेस्टल रंग, पोस्टर रंग, कलम और स्याही, रंगोली की सामग्री, मिट्टी, मिश्र सामग्री आदि।

II. दृश्य कला की विभिन्न विधियों के साथ अन्वेषण और प्रयोग; रेखाचित्र एवं चित्रकारी, ब्लॉक मुद्रण, कोलाज बनाना, कठपुतली, मुखौटा निर्माण, मिट्टी का प्रतिरूपण, कागज काटना और मोड़ना आदि।

III. किये गये प्रयोगों के लिए फोल्डर बनाना, प्रत्येक कला गतिविधि के एक-एक शीट को सुरक्षित रखना।

इकाई 3 : प्रर्दशन कला (प्रायोगिक)

I. क्षेत्रीय कला रूपों के संगीत, नृत्य, थियेटर और कठपुतली को सुनना/देखना और अन्वेषण करना।

II. कला रूपों - संगीत, नृत्य थियेटर और कठपुतली में से एक को तैयार करना और निष्पादन करना।

III. अध्यापक द्वारा एक प्रस्तुति की योजना बनाना।

IV. प्रायोगिक गतिविधियों को आवृत करने के लिए फोल्डर बनाना।

इकाई 4:- प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कला शिक्षा की योजना व संगठन

I. प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कला अनुभव की योजना — गतिविधियाँ और समय-सारणी।

II. कला अनुभव के लिए सामग्रियों का संगठन।

III. प्रारंभिक स्तर पर कला अनुभव के लिए संगठन और सरलीकरण।

इकाई 5 :- कला शिक्षा में मूल्यांकन

I. कला शिक्षा में मूल्यांकन

II. पोर्टफोलियो का निर्माण

III. मूल्यांकन के विविधि यंत्रों एवं तकनीकों के प्रयोग की समझ जैसे- प्रेक्षण अनुसूची, परियोजना, पोर्टफोलियो, जाँच सूची, श्रेणी पैमाना, उपाख्यान मूल प्रतिवेदन, प्रदर्शन आदि।

2. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

मूलाधार एवं पाठ्यक्रम के उद्देश्य

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों का एक अनिवार्य अंग है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध ने विद्यालय स्तर पर प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विधियों एवं कौशलों को एक नई ऊँचाई प्रदान किया है। शिक्षकों को ज्ञानार्जन के लिए एक अच्छी तरह संरचित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आवश्यक है। कौशलों को भी अर्जित करना जो कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में एक स्वस्थ जीवन चर्या प्रोन्नत करने में सहायक हो सके। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम जब प्रभावी ढंग से लागू किया जाये तो वह एक स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन देने के लिए अधिगमकर्ता को समर्थ बनाने में अग्रणी भूमिक निभा सकता है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का शैक्षिक उपलब्धि, संवेगात्मक स्थिरता और अन्त:वैयक्तिक संबंध पर एक सकारात्मक प्रभाव है। यह सभी शिक्षकों के प्रभावी प्रशिक्षण से संभव हो सकता है जिसके लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी तरह संरचित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आवश्यक है।

विशिष्ट उद्देश्य :-

प्रशिक्षु शिक्षक योग्य होगा :-

I. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के संकल्पना की साकल्यवादी समझ बनाने में।

II. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के मुख्य पक्षों से संबंधित ज्ञान एवं अनुभव अर्जित करने में।

III. विद्यार्थी के व्यक्तित्व के एकीकृत विकास की अवधारणा को समझने में।

IV. बच्चों के एकीकृत विकास पर लक्षित प्रभावी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का संगठन और आयोजन : शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक।

V. विद्यालयी बच्चों के लिए योगा के महत्व को समझना और विद्यालय में योगा के पर्याप्त ज्ञान और कौशलों को अर्जित करने में।

खण्ड 2 :- स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

इकाई 6 :- स्वास्थ्य का अर्थ एवं अभिप्राय

I. स्वास्थ्य की संकल्पना : शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य।

II. व्यक्ति, समाज व परिवार के लिए स्वास्थ्य का अभिप्राय।

III. स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बीच संबंध :- शिक्षा की पूर्वापेक्षा के रूप में स्वास्थ्य और शिक्षा के लक्ष्य के रूप में स्वास्थ्य।

इकाई 7 :- विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य पहलु

I. स्वास्थ्य विद्यालय पर्यावरण : स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, स्वच्छ शौचालय एवं मूत्रालय, सुरक्षित भोजन, हस्त प्रक्षालन सुविधायें, जल निकास, कचरा निस्तारण, प्रकाश व्यवस्था, वायु संचालन, आरामदेह बैठने की व्यवस्था, सकारात्मक और प्रेरक संवेग और सामाजिक वातावरण।

II. स्वास्थ्य निर्देश: भोजन एवं संतुलित आहार, संवाहक रोग, आसन, स्वस्थ आदतें।

इकाई 8: आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें

I. विद्यालय स्वास्थ्य सेवायें : विद्यार्थियों को अभिष्ट अधिगम, स्वस्थ जीवन और अच्छी नागरिकता के लिए तैयार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान।

II. विद्यालय और घर पर स्वास्थ्य आपदाओं के विरुद्ध सुरक्षा।

III. आपातकाल एवं दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का प्रावधान।

इकाई 9. शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणाएँ

I. शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं महत्व

II. शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य : व्यक्तित्व के एकीकृत विकास की संकल्पना: जैविक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलु।

III. सबके लिए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम: अंतरंग एवं बहिरंग, सामूहिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

इकाई 10 : शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना और संगठन

I. शारीरिक शिक्षा में पाठ योजना के सिद्धान्त

II. शिक्षण एवं अधिगम की विधियाँ: निरूपण विधि, पूर्ण-अंश-पूर्ण विधि, आदेश विधि, दर्पण विधि।

III. सामूहिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन करना, सभा, मार्च पास्ट, व्यायाम, खेलकूद सम्मेलन।

IV. प्रारंभिक स्तर पर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मददकर्ता के रूप में, सलाहकार के रूप में, दुष्ट विद्यार्थियों को पहचानने में और उपचार्य कमियों को सुधारने के लिए माप लेने के रूप में।

इकाई 11 :- खेल, क्रीड़ा एवं योग

I. खेल और मनोरंजन : मूल नियम, मौलिक कौशलों, खेल के मैदानों का चिन्हिकरण करना।

II. देशी खेल, गौण खेल: भीतरी एवं बाहरी खेल।

III. योगा: 1-14 वर्ष समूह के बच्चों के लिए आवश्यकता एवं महत्व।

IV. योगा कार्यक्रम : मूल आसन, प्राणायाम, शिष्यों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए और उनके समग्र विकास को प्रोन्नत करना।

3. कार्य शिक्षा

मूलाधार और पाठ्यक्रम के लक्ष्य

यह कार्यक्रम प्रशिक्षु अध्यापकों को कार्य के महत्व, हस्तचालित कार्य को विद्यालय शिक्षा के एक अनिवार्य अंग के रूप में समझने का अवसर प्रदान करता है। यह स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विविध उम्र के बच्चों के उपयुक्त गतिविधियों को पहचानने की अन्त:दृष्टि प्रदान करता है। इसमें कार्य संपादन करने और कार्य निरुपण से संबंधित गतिविधियों को करने की विविध विधियाँ हैं और यह पाठ्यक्रम प्रशिक्षुओं को निश्चित रूप से विषय के उपयुक्त विभिन्न कार्य संपादन रणनीतियों में विशेषज्ञता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। यह पाठ्यक्रम प्रशिक्षुओं को विषय के विविध पाठ्य सहगामी क्षेत्रों — भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला शिक्षा और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को एकीकृत करने में भी समर्थ बनायेगा। यह पाठ्यक्रम प्रशिक्षुओं में बच्चों के निर्धारण और सतत् एवं समग्र मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो तैयार कर तथा अन्य प्रतिवेदनों के द्वारा मूल्यांकन के कौशलों को विकसित करेगा। यह कार्य शिक्षा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने में समुदाय को सम्मिलित करने तथा समुदाय के संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता को समझने में उनको योग्य बनायेगा।

विशिष्ट उद्देश्य :-

- शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर कार्य शिक्षा की आवश्यकता, संकल्पना और प्रकृति को समझने में।
- कार्य शिक्षा को अन्य विद्यालयी विषयों के साथ एकीकृत करने में।
- श्रमिक के कार्य और मर्यादा के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने में।
- बच्चे के सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक और मानसिक विकास के एक यंत्र के रूप में कार्य को उपयोग में लाने के कौशलों को विकसित करने में।
- कार्य आधारित गतिविधियों के लिए नियतकालिक योजना संगठित करने और लागू करने में।
- कार्य शिक्षा के लिए समुदाय के संसाधनों को पहचानने और संगठित करने में।
- कार्य शिक्षा गतिविधियों के मूल्यांकन में।

खण्ड 3:- कार्य शिक्षा

इकाई 12 : कार्य शिक्षा की अवधारणा

I. कार्य और कार्य शिक्षा की संकल्पना

II. कार्य शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य।

III. कार्य शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य।

IV. कार्य शिक्षा के क्षेत्र।

V. शिक्षा शास्त्रीय माध्यम के रूप में कार्य — कार्य और अधिगम।

इकाई 13 : कार्य शिक्षा का क्रियान्वयन (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पक्ष)

I. विद्यालयों में कार्य शिक्षा की योजना और संगठन (समय, स्थान और विद्यार्थियों का समूहीकरण)

II. विभिन्न कक्षाओं के लिए कार्य शिक्षा सत्रों की योजना।

III. प्रारंभिक स्तर पर कार्य शिक्षा के लिए सामग्रियों का संगठन।

IV. सामग्रियों, यंत्रों एवं उपकरणों का रखरखाव और भंडारण।

V. विभिन्न पाठ्य सहगामी क्षेत्रों के साथ कार्य का एकीकरण:- कार्य और शिक्षा के एकीकरण के लिए शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ।

इकाई 14 : कार्य शिक्षा में कौशलों का विकास (प्रायोगिक कार्य)

नीचे दी गयी गतिविधियों की सूची में से किन्ही दो क्षेत्रों में कौशल विकास —

I. कौशल विकास के लिए आयोजित होने वाले प्रायोगिक कार्य में आवृत होने वाले स्टेप —

- विशिष्ट क्षेत्र की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि
- अपेक्षित सामग्री
- अनुकरण की गई विधियाँ
- उपयोगिता
- लागत

II. गतिविधियों की फाइल तैयार करने के लिए यह अनिवार्य है।

प्रायोगिक गतिविधियों के लिए सुझाई सूची :-

1. पंतंग निर्माण
2. मिट्टी और कपास की सहायता से मनकों (मोतियों) का निर्माण
3. पंखें, डोरमेट्स, टेबल मेट्स बुनना (स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्ची सामग्री प्रयुक्त की जानी चाहिए जैसे : खजूर की पत्तियाँ, पुराने कपड़ों के टुकड़े, पाम की पत्तियाँ आदि)
4. मोमबत्ती का निर्माण
5. चॉक निर्माण
6. कूड़ादान, कलम रखने का पात्र (पुराने टिनों से बनाना)
7. कागज के खिलौने (फिरकी, उड़ने वाली पक्षी, दिन एवं रात, मछली, नाचने वाली गुड़िया आदि)
8. कुट्टी

9. केन से बॉस्केट बुनना

10. लिफाफा बनाना (समाचार पत्रों एवं भूरे कागज के सहयोग से) आदि।

नोट :- कौशल विकास प्रयोंगों के लिए, यह अनुशंसित किया जाता है कि कार्यों के विशिष्ट क्षेत्रों को चुना जाये।

इकाई 15: विद्यालय में कार्य शिक्षा एवं समुदाय

I. कार्य शिक्षा में समुदाय की भूमिका।

II. कार्य शिक्षा को लागू करने के लिए समुदाय के संसाधनों की पहचान एवं उपयोग: सामुदायिक संसाधनों का मानचित्रण।

III. कार्य शिक्षा के महत्व के प्रति अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों के लिए अनुकूलन/समर्थन।

इकाई 16 : कार्य शिक्षा में मूल्यांकन

I. कार्य शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व।

II. कार्य शिक्षा गतिविधियों को कैसे मूल्यांकित करें?

III. संसूचक आधारित मूल्यांकन।

IV. मूल्यांकन के यंत्र और तकनीकें।

IV. स्वयं, सहपाठी, शिक्षक और समुदाय आधारित मूल्यांकन।

पाठ्यक्रम 9 : 509 - उच्च प्राथमिक स्तर सामाजिक विज्ञान का अधिगम

a. परिचय

एक विद्यालयी विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान उसकी प्रकृति और उद्देश्यों के बारे में एक निश्चित समझ पर आधारित है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थी-शिक्षकों को इस विषय के बारे में विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से अवगत कराता है। यह भी परीक्षण किया जाना चाहिए कि किन तरीकों में विभिन्न पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में विषय के विभिन्न दृष्टिकोण एवं समझ प्रत्यावर्तित होते हैं। यह सुझाता है कि कैसे सामाजिक विज्ञान समाज की विवेचित समझ और हमारे चारों तरफ की सामाजिक सच्चाई को समय, स्थान और शक्ति, संरचनाओं, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और संबंधों के प्ररिप्रेक्ष्य में क्षमता विकसित कर सकता है।

b. उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम को अधिगमकर्ता की सहायता करनी चाहिए:-

- समाज की विवेचित समझ और विश्लेषण के लिए ज्ञान और कौशल को विकसित करने में जिसमें हम इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे अनुशासनों के साथ रहते हैं।

- डाटा एकत्र करने, व्याख्यायित करने और विश्लेषित करने के कौशलों के निर्माण में।
- सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का विवेचित विश्लेषण करने में।
- सामाजिक तथ्यों एवं विकास के बारे में बच्चों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए तथा पाठ्यचर्चा के कार्य संपादन के लिए विभिन्न शिक्षाशास्त्रीय प्रणालियों का ज्ञान और उनका उपयोग करने में।

  स्वतंत्रता, समानता, न्याय और विभिन्नता तथा अनेकता आदि के लिए जैसे मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों को संभालने की क्षमता का विकास करना और इन मूल्यों को भयभीत करने वाली सामाजिक शक्तियों को चुनौती प्रदान करना।

C. प्रणाली

इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में विभिन्न परिप्रेक्ष्य, इस पाठ्यक्रम के आधार को यह समझने के लिए गठन करेंगे कि विषय को विभिन्न तरीकों में कैसे विचारित किया जा सकता है और इसका उद्देश्य ऐतिहासिक और सामाजिक है। पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यचर्या का विश्लेषण विद्यार्थियों को समझने में मदद कर सकता है कि कैसे समाज, बच्चे और सामाजिक ज्ञान के विविध परिप्रेक्ष्य इन दस्तावेजों और शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों को आकार प्रदान करते हैं और वे कैसे कक्षाकक्ष में वैकल्पिक रूप से विचारित और कार्य संपादित की जा सकती है? पढ़ना कि कैसे बच्चे सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों और विषय तत्वों को समझते और संप्रत्ययीकरण करते हैं। व्यक्तिगत/सामूहिक चिन्तन जिनमें विभिन्न पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण प्रणालियाँ योग्यताओं के विकास को अनुमति या बाधा पहुँचाती हैं। ये प्रशिक्षु शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान और उपयुक्त शिक्षा शास्त्रों की उनकी अपनी समझ विकसित करने के अन्य रास्ते उपलब्ध करायेंगे।

खण्ड 1 : एक अनुशासन के रूप में सामाजिक विज्ञान की समझ

इकाई 1 : सामाजिक विज्ञान की प्रकृति

- सामाजिक विज्ञान : विकास और संकल्पना।
- सामाजिक विज्ञान : समय से परे।
- समाज की तात्कालिक स्थिति।
- सामाजिक विज्ञान के घटक : राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था।
- सामाजिक विज्ञान में एकीकरण और अंत: अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य।

इकाई 2: विद्यालय पाठ्यचर्चा में सामाजिक विज्ञान

- इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या के विकास को प्रभावित करने वाली शक्तियों का परीक्षण करना जो कि सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को बदल देता है।
- औपनिवेशिक शक्ति : राष्ट्रवादी विकल्प

- स्वतंत्रता पश्चात् सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या पर वाद विवाद।
- राष्ट्रीय एकीकरण और अन्तराष्ट्रीय समझ।
- लिंग, जाति और अनुसूचित जनजाति के परिप्रेक्ष्य।
- सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या के अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य (UNESCO, दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या का एक उदाहरण)।
- सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या के संबंध में तात्कालिक राष्ट्रीय सोच एवं अभ्यास।

खण्ड 2: सामाजिक विज्ञान विषय और अवधारणाएं

इकाई 3: इतिहास

- प्रारंभिक स्तर पर इतिहास की संकल्पना और इतिहास विषय
- सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा इतिहास में अपनायी गई विधियाँ।
- सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या के एक अंग के रूप में इतिहास का महत्व।
- पाठ योजना का प्रतिमान

इकाई 4 : भूगोल

- प्रारंभिक स्तर पर भूगोल की संकल्पना और भूगोल का विषय।
- सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा भूगोल में अपनायी गई विधियाँ।
- सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या के एक अंग के रूप में भूगोल का महत्व।
- पाठ योजना का प्रतिमान।

इकाई 5 : राजनीति विज्ञान/अर्थशास्त्र/समाजशास्त्र के एकीकृत विषय के रूप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन

- प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन में सामाजिक और राजनीतिक जीवन का विषय
- सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में अपनायी गई विधियाँ।
- सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या के अंग के रूप में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का महत्व।
- पाठ-योजना का प्रतिमान।

खण्ड 3: सामाजिक विज्ञान के शिक्षा-शास्त्रीय मुद्दे

इकाई 6 : अधिगमकर्ता की प्रकृति और स्थानीय संदर्भ की समझ

- विविध सामाजिक संदर्भ
- बच्चे सामाजिक अध्ययन के मुद्दों को कैसे समझें।
- मध्य, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, संकल्पना निर्माण, उनके उम्र और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, पाठ्यचर्चा और शिक्षा शास्त्र के लिए इन तथ्यों का अभिप्राय।
- बच्चों की संकल्पना की समझ का केस अध्ययन, सामाजिक अध्ययन के ज्ञान की संरचना और कक्षाकक्ष अन्त:क्रिया।

इकाई 7: शिक्षण-अधिगम रणनीतियाँ

शिक्षण विधियाँ :- स्वत:शोध/खोज विधि, परियोजना विधि, वृतान्त का प्रयोग, तुलनायें, प्रेक्षण, संवाद और सामाजिक अध्ययन में विचार विमर्श, डाटा की संकल्पना, विभिन्न सामाजिक अध्ययन अनुशासनों में इसके साधन और साक्ष्य, तथ्य और सम्मति के बीच अंतर, पक्षपात एवं पूर्वाग्रह की पहचान, विवेचित सोच पाठ्यक्रम संरचना के लिए व्यक्तिगत अनुभव व अन्य ज्ञान।

(प्रत्येक रणनीति को सचित्र उदाहरण और विभिन्न संसाधनों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

इकाई 8: सामाजिक विज्ञान में अधिगम संसाधन

अधिगम संसाधनों के प्रकार: Realia & Diorama, मानचित्र एवं ग्लोब, प्रतिमान, ग्राफ, चार्ट और कार्टून, समयसीमा, पुस्तकें, समाचार पत्रों की कतरन, संग्रहालय, सिनेमा, इन्टरनेट, अधिगम संसाधनों का विकास, अधिगम संसाधनों का प्रबंधन।

इकाई 9 : सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन

सतत् एवं समग्र मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन में सूचनाओं को स्मरण करने पर आधारित मूल्यांकन विधि, समझ, अनुप्रयोग और संश्लेषिकरण, अधिगम को मूल्यांकित करने के वैकल्पिक तरीके (पोर्टफोलियो), मूल्यांकन के आधार, उद्देश्य आधारित प्रश्नों के प्रकार, ग्रेडिंग का महत्व और अंकन प्रणाली।

पाठ्यक्रम 510 - उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान अधिगम

a. परिचय

वैज्ञानिक विधि समाहित करती है अवलोकन करना, प्रतिमानों को देखना, अन्दाजा लगाना, प्रयोगों द्वारा उनकी वैधता को जाँचना और इस प्रकार सिद्धान्तों पर पहुँचना, सिद्धान्तों और भौतिक विश्व को शासित करने का कानून।

b. उद्देश्य

यह खण्ड निम्नलिखित उद्देश्यों पर बल प्रदान कर प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान अध्ययन की गुणवत्ता को सुधारने पर लक्षित होगा :-

- बच्चे की विश्व के बारे में प्राकृतिक उत्सुकता का पोषण करना।
- विचार करना कि बच्चे उनकी प्रतिदिन के अनुभवों से अपने आप क्या जानते हैं?
- क्या बच्चा अन्वेषणात्मक और व्यावहारिक गतिविधियों में संलग्न रहता है या सामान्य तकनीकी इकाइयों को स्वयं अपने हाथों से प्रारुपित करता है।
- पारिवारिक अनुभवों, गतिविधियों और प्रयोंगों तथा साथियों एवं शिक्षकों के साथ विचार विमर्श के माध्यम से वैज्ञानिक अवधाारणाओं पर पहुँचना।
- हमेशा प्रश्न पूछना: बिना विवेचित किए कथनों को स्वीकार न करना।
- तद्नुसार अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों के इर्द-गिर्द कार्य करेगा।
- विद्यार्थियों को उनकी विज्ञान की अपनी अवधारणात्मक समझ को पुन: देखने के लिए प्रोत्साहित करना।
- विज्ञान की प्रकृति के विविध पहलुओं के साथ विद्यार्थियों को सम्बद्ध करना।
- विद्यार्थियों को बच्चों की संज्ञानात्मक विकास और उनकी वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ में सहायता प्रदान करना।
- उपयुक्त शिक्षण अधिगम मूल्यांकन रणनीतियों के चुनाव और उपयोग में विद्यार्थियों की मदद करना।
- एक समावेशी और एक प्रजातांत्रिक कार्य के रूप में विज्ञान को देखने में विद्यार्थियों को समर्थ बनाना।

C. प्रणाली

उपलब्ध साहित्य को पढ़ना, सामान्य गतिविधियों का आयोजन करना तथा प्रयोग, प्रेक्षणों को रिकार्ड करना, साथियों और शिक्षकों के साथ विचारविमर्श करना वे कैसे प्रश्नों पर पहुँचें, जाँच के आयोजन के लिए वे निश्चित तरीकों का चयन करने आदि में प्रशिक्षुओं द्वारा छात्रों को मदद करना। प्रशिक्षुओं की मदद करना कि वे निम्नलिखित को कैसे आयोजित करेंगे:-

- पूछताछ आयोजित करने के विभिन्न तरीके: विभिन्न प्रतियोगिताओं में सामान्य प्रयोगों और अन्वेषणों को निर्धारित करना।
- विज्ञान संग्रहालय, मैदानों का दौरा, परियोजनायें और प्रदर्शनी।
- पेपर पेन्सिल जाँच परीक्षा के लिए विभिन्न रणनीतिक मूल्यांकनों के साथ उपयुक्त प्रश्नों का विकास करना।
- अवधारणा मानचित्रण पर आधारित इकाई योजना तैयार करना।
- शिक्षण-अधिगम सामग्रियों को मूल्यांकित करना जैसे — किताबें, फिल्मों, मल्टीमीडिया पैकेजों को उनकी सार्थकता और आयु उपयुक्तता के लिए।

खण्ड 1: विज्ञान की समझ

इकाई 1: विज्ञान की प्रकृति

- प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिककालीन विज्ञान के इतिहास और दर्शन, विज्ञान का दर्शन।
- विज्ञान क्या है? -परिभाषा और सामान्य लक्षण, विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान की प्रक्रिया।
- वैज्ञानिक ज्ञान को समाविष्ट करना :- परिकल्पना, सिद्धांत, तथ्य, प्राकृतिक नियम, साक्ष्य और उदाहरण, निगमनात्मक अनुमान और आगमनात्मक अनुमान।
- वैज्ञानिक सोच: आनुभविक साक्ष्य का उपयोग, तार्किक विवेचन का अभ्यास और अनुमानित ज्ञान के बारे में संशयवादी मनोवृत्ति से संपन्न होना।
- वैज्ञानिक विधियाँ : वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधियों में आवेष्टित कदम और वैज्ञानिक मनोवृति।

इकाई 2 : वैज्ञानिक जाँच

वैज्ञानिक पूछताछ की अवधारणा, प्रकार

वैज्ञानिक पूछताछ कौशलों की प्रक्रिया:- वैज्ञानिक, प्रक्रियाओं में अधिगमकर्ता की संलग्नता।

— पूछताछ के लिए प्रश्न उठाना

— निर्देश प्राप्त करने के लिए परिकल्पनावाद।

— प्रेक्षण के निर्देशों को प्राप्त करने के लिए भविष्यवाणी करना।

— प्रतिमान और संबंध के लिए खोज।

— पूछताछ के लिए आविष्कार करना और योजना बनाना।

— उपकरणों का प्रारूपण और निर्माण करना।

— भागीदारी करना और संवाद करना।

— स्वचिन्तन और स्व कार्यान्वयन।

— व्यक्तिगत जीवन में पूछताछ।

इकाई -3 : विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उपागम

शिक्षण की प्रणाली

उदाहरणों के साथ विभिन्न उपागम : संचारण या व्याख्यात्मक उपागम, प्रक्रिया या पूछताछ उपागम, खोज उपागम।

इकाई-4: करके देखने का अनुभव

— बच्चों के अधिगम में प्रत्यक्ष अनुभव की भूमिका

— अन्वेषण के प्रकार : कक्षा में और विद्यालय के बाहर

— प्रायोगिक कार्य का संगठन

— विद्यालय में और विद्यालय के बाहर सुरक्षा मानक।

खण्ड 2: विज्ञान शिक्षण का प्रबंधन एवं मापन

इकाई 5: उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की योजना बनाना एवं प्रबंधन करना

— योजना का सामान्य अवलोकन

— विज्ञान में योजना और पाठ्यचर्या का क्षेत्र विस्तार।

— कक्षा स्तर पर योजना - पाठ योजना।

— विद्यालय स्तर स्थानीय स्तर पर, इलेक्ट्रानिक और नॉन-इलेक्ट्रानिक सामग्री की पहचान और विविध संसाधनों का उपयोग।

— अभिलेखन और प्रतिवेदन

इकाई 6 : आंकलन

— निर्धारण:- क्या, कैसे और क्यों - मूल्यांकन की संकल्पना, उद्देश्य और विशेष विवरण, मूल्यांकन के प्रकार, आंतरिक निर्धारण।

— विज्ञान में सतत एवं समग्र मूल्यांकन।

— विज्ञान में अधिगम में मदद के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना — कठिन तथ्यों की पहचान करना/उपचारी अधिगम को अनुभव करना।

— संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन।

— बच्चों के विचारों, कौशलों और मनोवृत्तियों का मूल्यांकन संरचित करना।

इकाई 7: विज्ञान शिक्षण में मुद्दे और चुनौतियाँ

— विज्ञान सबके लिए।

— विभिन्न योग्यताओं का शिक्षण।

— विज्ञान और विज्ञान शिक्षण में उन्नति को जानना।

प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम का ढाँचा

प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम-1, 511- विद्यालय आधारित गतिविधियाँ (SBA)

प्रथम वर्ष: विद्यालय आधारित गतिविधियों के 4 क्रेडिट तीन भागों में विभक्त हैं :-

- विद्यालय के बच्चे का केस (case) अध्ययन।
- प्रतिवेदनों एवं पंजिकाओं का रख रखाव।
- विद्यालय कार्यक्रमों में योगदान।

प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम-2 : 512- कार्यशाला-I (कार्यशाला आधारित गतिविधियाँ WBA)

प्रथम वर्ष:- कार्यशाला आधारित गतिविधियां के 4 क्रेडिट 12 दिनों के कार्यशाला के दौरान विविध प्रकार की गतिविधियों को समाविष्ट करता है:-

- भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान/सामाजिक विज्ञान का पाठ-योजना तैयार करना।
- तीनों विषयों में शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) और साधनों को तैयार करना।
- किसी एक विषय आधारित मूल्यांकन में पोर्टफोलियो का विकास करना।
- प्रारूप और रूप-रेखा पर आधारित संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करना।
- पाठ निरूपण का प्रेक्षण करना।
- मूल्यांकन प्रक्रिया में भागीदारी करना।

513-कार्यशाला II (कार्यशाला आधारित गतिविधियाँ)

द्वितीय वर्ष : द्वितीय वर्ष के कार्यशाला आधारित गतिविधियों के 4 क्रेडिट, 12 दिवसीय कार्यशाला के दौरान विविध प्रकार की गतिविधियों को समाविष्ट करता है:-

- किन्ही दो विषयों में संकल्पना मानचित्रण: भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान/सामाजिक विज्ञान
- कला, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य शिक्षा पर कार्य करना।
- समय-सारणी/वार्षिक गतिविधि, कैलेन्डर का विश्लेषण करना
- विद्यालय-समुदाय संबंध
- सेमिनार प्रस्तुतीकरण
- मूल्यांकन प्रक्रिया में भागीदारी

प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम - 3. 514-शिक्षण अभ्यास (PT)

द्वितीय वर्ष :- शिक्षण अभ्यास के 8 क्रेडिट हैं। एक प्रशिक्षु अध्यापक से चार विषयों में से प्रत्येक में 10 पाठों का अभ्यास देना अपेक्षित होगा। विषय हैं - (भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान/सामाजिक

विज्ञान) उसे विद्यालय में एक परामर्शदाता और एक पर्यवेक्षक आंवंटित होगा (विद्यालय का वरिष्ठ अध्यापक) उसका मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन कसौटियों पर किया जायेगा:-

- पाठ-योजना
- विषय सामग्री में सामर्थ्य
- शिक्षक के दिशा निर्देश
- पाठ और इसके प्रबंधन में विद्यार्थियों की भागीदारी
- विद्यार्थियों का मूल्यांकन
- विद्यालय के प्रधान द्वारा शिक्षण अभ्यास प्रक्रिया का मूल्यांकन।

8. पाठ्यक्रम की तैयारी

अधिगम सामग्री देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों, विशिष्ट संगठनों व संस्थानों के विशेषज्ञों एवं स्वयं के संकाय सदस्यों द्वारा तैयार की गई है। सामग्री को अंतिम रूप से प्रकाशन के लिए भेजे जाने से पूर्व राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान में विषय विशेषज्ञों द्वारा जांचा, प्रशिक्षकों द्वारा पर्यवेक्षित और भाषा विशेषज्ञों द्वारा संपादित किया गया है। ठीक उसी प्रकार श्रव्य व दृश्य कैसेट्स भी विद्यार्थियों व अध्ययन केंद्रों को भेजे जाने से पूर्व पाठ्यक्रम लेखकों की सलाह से स्वयं के संकाय सदस्यों और बाहर के विशेषज्ञों द्वारा जहां आवश्यक है, संपादित व संवर्धित किये गये हैं।

9. क्रेडिट प्रणाली

संस्थान इस कार्यक्रम के लिए क्रेडिट प्रणाली अपनाता है। प्रत्येक क्रेडिट 30 घण्टे के अध्ययन और सभी अधिगम गतिविधियों को समाविष्ट किये हुए है। उदाहरण के लिए चार क्रेडिट पाठ्यक्रम में 120 घंटे का अध्ययन समाहित है। पाठ्यक्रम का महत्व क्रेडिट के रूप में व्यक्त है। यह अधिगमकर्ता को शैक्षिक प्रयास को समझने और पाठ्यक्रम को सफलता पूर्वक पूर्ण करने में मदद करता है। शैक्षिक कार्यक्रम की पूर्णता सत्रीय कार्यों को पूर्ण करने, पाठ्यक्रम के अंत में होने वाली परीक्षाओं और प्रायोगिक घटकों को पूर्ण करने पर निर्भर करती है।

10. समर्थन प्रणाली

अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत समर्थन प्रदान करने के लिए संस्थान/राज्य के पास बड़ी संख्या में अध्ययन केंद्र हैं। ये राज्य द्वारा स्वयं समन्वित किये जाते हैं। अध्ययन केंद्र पर अधिगमकर्ता अध्ययन केंद्र समन्वयक, कार्यशाला समन्वयक, अध्ययन केंद सहायक, संसाधान पुरुष, परामर्शदाता, पर्यवेक्षक एवं सहपाठियों, पुस्तकालय की संदर्भ पुस्तकों, दृश्य-श्रव्य सामग्रियों तथा प्रशासनिक व शैक्षिक मुद्दों आदि पर समन्वयक से परस्पर बातचीत कर सकता है। समर्थन सेवायें कार्य केंद्रों और कार्यक्रम केंद्रों द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है।

11. कार्यक्रम के वितरण की रणनीति

मुक्त शिक्षा प्रणाली में अनुदेशात्मक प्रणाली एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह अनुदेशात्मक प्रणाली ही है जो कि मुक्त शिक्षा को सार्थक (प्रभावी और दिलचस्प) बनाती है। इस कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित अनुदेशात्मक प्रणाली अपनायी गयी है :

1. **प्रथम मूल :**
    - स्व-अनुदेशात्मक मुद्रित सामग्री
    - सत्रीय कार्य-जैसे– परियोजना कार्य, घटना का अध्ययन, बस्ते फाइल तैयार करना आदि।
    - कार्यशाला आयोजन के माध्यम से निवेश
    - अभ्यास पाठ का वितरण
    - प्रायोगिक नियमावली (विद्यालय आधारित और कार्यशाला आधारित गतिविधियां)
    - प्रायोगिक पुस्तिका
2. **द्वितीय अनुपूरक**
    - दृश्य सामग्री
    - श्रव्य-दृश्य सामग्री
    - दूरदर्शन परामर्श के माध्यम से पाठ वितरण
    - आंतरिक परामर्श मोबाइल के माध्यम से
    - वेब पोर्टल पर ई-पाठ

12. मुद्रित सामग्री

कार्यक्रम के दोनों पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक और प्रायोगिक के लिए मुद्रित सामग्री ही अध्ययन सामग्री है। यह विद्यार्थियों को खण्ड के रूप में उपलब्ध होते है। प्रत्येक खण्ड में 3-4 इकाईयां होती हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम का एक कोड अंक है। NIOS विद्यार्थियों के लिए जहां कहीं निर्धारित है अध्ययन सामग्री और नियत कार्य पंजीकृत डाक से भेजता है और यदि विद्यार्थी किसी कारणवश उसे प्राप्त नहीं करता है तो NIOS इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

13. शैक्षणिक सत्र

दूरस्थ शिक्षा में अधिगमकर्त्ता और अध्यापक के बीच मुखाभिमुख सम्पर्क अपेक्षाकृत कम है। इस प्रकार के संपर्क का उद्देश्य है अधिगमकर्ता के सवालों का जवाब देना और शंका समाधान करना जो कि संचार के किसी अन्य साधन के द्वारा संभव नहीं हो सकता। यह उन्हें उनके अनुगामी विद्यार्थियों से मिलने का

अवसर भी उपलब्ध कराता है।

आपने जिस पाठ्यक्रम को अध्ययन के लिए चुना है उसमें दिशा-निर्देश देने के लिए अध्ययन केंद्र पर शैक्षिक अध्यापक होते हैं। सामान्यत: यह सत्र अध्ययन केंद्रों पर रविवार को आयोजित किए जायेंगे।

आपको ध्यान देना चाहिए कि अध्ययन सत्र कक्षा-शिक्षण या व्याख्यान से बहुत अलग होगा। सलाहकार पारंपरिक शिक्षण की तरह व्याख्यान नहीं देंगे, D.El.Ed. कार्यक्रम के अध्ययन के समय आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। इन सत्रों में आपको अपने विषय आधारित कठिनाइयों एवं अन्य संबंधित समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए।

प्रत्येक पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र में भाग लेने से पूर्व अपने पाठ्य सामग्री को सत्र अनुसूची के अनुरूप देख लें और जिन बिंदुओं पर परिचर्चा करनी है उनकी योजना बना लें। अन्यथा आपको इकाईयों के माध्यम से जाना पड़ेगा जहां चर्चा के लिए कुछ अधिक नहीं होता और फलदायी भी नहीं हो सकता।

सामान्यत: अध्ययन केंद्रों पर शैक्षिक सत्र सप्ताहांत एवं अन्य अवकाशों के दौरान आयोजित किये जायेंगे। कार्यक्रम के सामान्य अनुसूची के अंतर्गत अध्ययन केंद्र के समन्वयक इस सत्रों के विस्तार का निर्णय करेंगे। अध्ययन केंद्र समन्वयक शैक्षिक अनुसूची उपलब्ध करायेंगे। शैक्षिक सत्र अधिगमकर्ताओं के साथ पारस्परिक अंत:क्रिया के माध्यम से मुद्रित सामग्री और श्रव्य-दृश्य कार्यक्रमों में वांछित स्पष्टीकरण को शामिल करेगा। शैक्षिक सत्र सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित किये जाते हैं। इस कार्यक्रम में प्रत्येक छात्र को 11 क्रेडिट्स के लिए 9 सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम (8 अनिवार्य एवं 1 वैकल्पिक) प्रदान किये जाते हैं। अत: 9 सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों के शैक्षिक सत्र का आयोजन प्रत्येक अधिगमकर्ताओं के लिए किया जाता है। शैक्षिक सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम 15 दिनों का होगा जबकि प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। शैक्षिक सत्र में उपस्थिति के लिए कोई क्रेडिट स्वीकृत नहीं हैं। लेकिन यह उन्हें सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा में बैठने के योग्य बनायेगा। परामर्श सत्र की अनुसूची परिशिष्ट 1 में है।

14. प्रायोगिक कार्य का आयोजन

प्रायोगिक कार्य को प्रभावी समर्थन प्रदान करने के लिए NIOS ने राज्य में अधिक संख्या में अध्ययन केंद्र स्थापित किया है। जहां द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम के दौरान प्रत्येक वर्ष 10 दिवसीय कार्यशाला अवकाशों के दौरान आयोजित किये जायेंगे। अध्ययन केंद्र DIETs/BRCs में स्थित हैं। जहां शैक्षिक अध्यापन और प्रायोगिक कार्यशाला आयोजित किये जायेंगे। इसका प्रबंधन अध्ययन केंद्र समन्वयक, कार्यशाला समन्वयक द्वारा किया जायेगा और प्रत्येक अध्ययन केंद्र अधिकतम 100 अधिगमकर्त्ताओं का रख-रखाव करेगा।

आप जिस अध्ययन केंद्र से जुड़े हैं उसका विस्तृत विवरण NIOS/राज्य इकाईयों द्वारा प्रेषित की जायेंगी।

प्रायोगिक कार्य निजी विद्यालयों और अध्ययन केंद्र के रूप में चिन्हित संस्थानों में भी आयोजित होंगे। जैसा कि पहले वर्णित है प्रायोगिक पाठ्यक्रम में प्रायोगिक कार्य, विद्यालय आधारित और कार्यशाला आधारित गतिविधियां, सत्रीय कार्य और अभ्यास-शिक्षण सम्मिलित हैं। विद्यालय आधारित गतिविधियां, सत्रीय कार्य और अभ्यास-शिक्षण निजी विद्यालय में होगे। कार्यशाला आधारित प्रायोगिक कार्य 20 दिन के दो प्रायोगिक कार्यशालाओं में आयोजित होंगे (2 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 10 दिन) प्रशिक्षु से अपेक्षा है कि वे विभिन्न प्रायोगिक कार्यों में लगभग 750 घंटे का समय बितायें।

प्रायोगिक कार्य और सम्पर्क सत्र :

अंत: क्रिया और सम्पर्क सत्र इस पाठ्यक्रम प्रस्तुति का महत्वपूर्ण घटक है। प्रायोगिक सत्र में तीन प्रकार की गतिविधियां-विद्यालय आधारित, कार्यशाला आधारित और अभ्यास-शिक्षण शामिल हैं जिससे अंत:क्रिया निर्मित होता है। प्रथम वर्ष में 10 दिवसीय कार्यशाला और विद्यालय आधारित गतिविधियों का पर्यवेक्षण पर्यवेक्षक एवं परामर्शदाता और द्वितीय वर्ष में अभ्यास-शिक्षण का पर्यवेक्षण भी इन्हीं के द्वारा किया जायेगा। अध्ययन केंद्र पर 1 वर्ष में 15 शैक्षिक सत्र के साथ-साथ व्यक्तिगत सम्पर्क सत्र भी होते हैं। इन सत्रों में प्रयुक्त अपेक्षित क्रेडिटों की संख्या का विभाजन निम्न हैं :

(1)	कार्यशाला आधारित गतिविधियां (1 वर्ष में 10 दिन)	8 क्रेडिट	– 240 घंटे
	कार्यशाला गतिविधि से पूर्व		– 60 घंटे
	कार्यशाला गतिविधि		– 160 घंटे
	कार्यशाला गतिविधि के बाद		– 20 घंटे
(2)	विद्यालय आधारित गतिविधियां	4 क्रेडिट	– 120 घंटे
(3)	अभ्यास शिक्षण (40 पाठ x 6 घंटे)	8 क्रेडिट	– 240 घंटे
(4)	सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक समर्थन (15 दिन x 5 घंटे x 2 वर्ष)	कोई क्रेडिट नहीं	– 150 घंटे

15. सत्रीय कार्य

सत्रीय कार्य अनुदेशात्मक प्रणाली का अंगभूत एवं अनिवार्य कारक है। सत्रीय कार्य प्रत्येक सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के लिए हैं। ये सत्रीय कार्य कार्यक्रम निर्देशिका में दिये गये अनुसूची की सहायता से संबंधित अध्ययन केंद्र पर जमा करने हैं। यदि कोई अधिगमकर्त्ता सत्रीय कार्य की प्रतिलिपि चाहता है तो वह उसे अध्ययन केंद्र से प्राप्त कर सकता है या NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in से प्राप्त कर सकता है।

जब आप नियत कार्य तैयार कर रहे हों तो निम्नलिखित बिंदुओं को मस्तिष्क में रखना चाहिए :

(i) उत्तर संक्षिप्त व क्रमबद्ध हों। अप्रासंगिक विवरण देने से हमेशा बचने की कोशिश करें तथा प्रश्न और उसके विविध पक्षों पर केंद्रित करें।

(ii) सत्रीय कार्य में जहां शब्द-सीमा विनिर्दिष्ट है उसका ध्यान रखें। जहां तक संभव हो शब्द सीमा में बांधें। किंतु वर्णन को पर्याप्त रखें, बहुत छोटा न करें। शब्द सीमा जवाब को पैना व केंद्रित बनाती है और आपकी अभिव्यक्ति को बाधित नहीं करती।

(iii) आपके जवाब स्व-लिखित हों। यदि आपको लगता है कि आपका लेख सुपाठ्य नहीं है तो आप अपना जवाब टंकण करा कर भेज सकते हैं।

(iv) कार्यशाला में सत्रीय कार्य के लिए दिग्विन्यास उपलब्ध कराया जायेगा। आपको सत्रीय कार्य का जवाब अपने संबद्ध अध्ययन केंद्र पर नियत दिनांक पर भेजना है। ये दिनांक कार्यक्रम पुस्तिका में पीछे दिये गये हैं।

3 सत्रीय कार्यों के लिए 30 प्रतिशत अधिभार निश्चित हैं। (2 सैद्धान्तिक + 1 प्रायोगिक) प्रायोगिक के लिए 10 प्रतिशत तथा सैद्धान्तिक कार्य के लिए 20 प्रतिशत अधिभार है। इसके लिए कोई विकल्प नहीं होगा, सभी विषय अनिवार्य होंगे।

सत्रीय कार्य एक अनिवार्य घटक हैं। प्रत्येक सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के लिए एक सत्रीय कार्य होगा। इस प्रकार सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के लिए कुल 27 सैद्धान्तिक सत्रीय कार्य होंगे। आप जिस अध्ययन केंद्र से संबंद्धित हैं आपको सत्रीय कार्य उसी अध्ययन केंद निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा करने हैं। पर जमा करना चाहिए। सत्रीय कार्य के जवाब की एक प्रतिलिपि हमेशा आपके पास होनी चाहिए।

सत्रीय कार्य का जवाब पूर्णता में कैसे भेजें और अन्य मुद्दे

1. सत्रीयकार्य के जवाब के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर दायें कोने पर अपना नामांकन संख्या, नाम और पूरा पता तथा तारीख लिखें।

2. अपने जवाब के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर मध्य में बड़े अक्षरों में पाठ्यक्रम शीर्षक, कोड तथा सत्रीय कार्य कोड लिखें।

   (कार्यालय के उपयोग हेतु शीर्ष के बायें कोने को खाली छोड़े)

   आपके जवाब के प्रथम पृष्ठ का शीर्ष कुछ इस तरह दिखना चाहिए :

   पाठ्यक्रम शीर्षक .....

   पाठ्यक्रम कोड .....

   सत्रीय कार्य कोड .....

   नामांकन संख्या .....

   नाम .....

   पता .....

   .....

   तारीख .....

   कृपया प्रारूप का सख्ती से पालन करें। यदि आप इस प्रारूप का पालन नहीं करते हैं तो हम आपका जवाब पुनः प्रस्तुत करने के लिए आपको वापस भेजने को बाध्य होंगे। यदि आप अपना नामांकन संख्या और पता नहीं लिखते हैं तो आपके सत्रीय कार्य के जवाब को खो जाने की संभावना है।

3. सत्रीय कार्य का जवाब सभी परिप्रेक्ष्य में पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण जवाब आपको खराब ग्रेड दिलायेंगे। जवाब को टुकड़ों में न भेजे, वह हमारे कार्यालय में एक साथ नहीं रखा जा सकता।

4. आपका जवाब केवल बड़े आकार के कागज पर होने चाहिए। सामान्य कागज का प्रयोग करें, बहुत पतले कागज का नहीं।

5. बायीं तरफ 3/2'' जगह छोड़े और प्रत्येक सत्रीय कार्य के जवाब के बीच कम-से-कम चार पंक्तियां खाली छोड़ दें। यह साधन सभी को जवाब का मूल्यांन करते समय उपयोगी टिप्पणी लिखने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करेगा।

6. सुनिश्चित करें कि आपका जवाब आपको भेजी गई इकाई के आधार पर हो।

7. आपको अपने सत्रीय कार्य के जवाब में मुद्रित अनुच्छेद नहीं भेजना चाहिए।

8. सत्रीय कार्य का जवाब जो आपने हमें भेजा है कि एक प्रति अपने पास रखें। आपको इसे अपने पास रखना आवश्यक है यदि यह पारगमन में खो जाये तो ऐसी स्थिति में दुबारा जमा करने के लिए।

9. याद रखें कि एक विशिष्ट सत्रीय कार्य के दो या अधिक जवाब एक समान या समरूप पाये जाते हैं तो बिना जांच किये लौटा दिये जायेंगे या बहुत कम ग्रेड दिये जायेंगे। ऐसे मामले में यह पूरी तरह से मूल्यांकनकर्ता का विवेकाधिकार है कि आपको पुनः लिखने को कहें या बहुत कम ग्रेड दे।

10. कृपया अपना सत्रीय कार्य निश्चित तिथि को संबद्ध केंद्र के समन्वयक या कार्यक्रम संचालक को जमा करें। यदि सत्रीय कार्य जमा करने की अंतिम तिथि के दिन कोई अवकाश हो तो यह जवाब अगले कार्य दिवस पर जमा कर देना चाहिए।

16. कार्यक्रम शुल्क

यह कार्यक्रम स्वयं संपोषित कार्यक्रम के रूप में सामने रखा गया है। कार्यक्रम का शुल्क सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार रु. 6000 प्रति वर्ष या रु. 12000 दो वर्ष के लिए प्रति अभ्यर्थी रखा गया है। अंतः सेवी कार्यक्रम होने के कारण कार्यक्रम के अभ्यर्थी संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होंगे।

* (**for further details please refer section 19 and Appendices-III & IV**)

17. अधिगमकर्ता का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण

(a) परिचय :

D.El.Ed. कार्यक्रम के मूल्यांकन में निम्नलिखित घटकों के समावेशन के लिए मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम विधि के पास एक बहु-स्तरीय प्रणाली है :

(i) अध्ययन के प्रत्येक इकाई के अंतर्गत स्व-मूल्यांकन अभ्यास।

(ii) सतत् मूल्यांकन मुख्यतः सत्रीय कार्य के माध्यम से हैं :

(a) अध्यापक चिन्हित और प्रायोगिक सत्रीय कार्य (b) प्रायोगिक गतिविधियां : विद्यालय आधारित गतिविधियां, कार्यशाला आधारित गतिविधियों और अभ्यास-शिक्षण।

(iii) सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा

(b) सैद्धांतिक मूल्यांकन :

स्व-मूल्यांकन अभ्यास/जांच

प्रत्येक पाठ्यक्रम के औपचारिक मूल्यांकन के परिवर्धन में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान अभ्यर्थियों को स्व-मूल्यांकन सामग्री के रूप में प्रत्येक पाठ्यक्रम के विभिन्न बिंदुओं पर कुछ अभ्यास/जांच उपलब्ध कराता है। इसके लिए कोई अंक नहीं मिलता बल्कि अधिगमकर्ता द्वारा विभिन्न पक्षों जिन्हें वह जानता है या जिन पर अधिक कार्य की आवश्यकता है के स्व-निरूपण और स्व-मूल्यांकन का एक साधन होगा।

सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा :

बाह्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का एक संतुलित सार-संग्रह होगा। सभी सैद्धांतिक पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं।

प्रत्येक पाठ्यक्रम के दो घटक हैं :

- सैद्धान्तिक क्रेडिट-70 अंक
- सत्रीय कार्य क्रेडिट मुख्यत: विशेष पाठ्यक्रम से संबंधित अभ्यास आधारित–30 अंक अभ्यर्थी द्वारा इन दोनों भागों में प्राप्त अंक उनके संपूर्ण अंकों को निर्धारित करने में जोड़े जायेंगे।

सत्रीय कार्य :

प्रत्येक पाठ्यक्रम में 3 सत्रीय कार्य होंगे। दो सिद्धांत पर आधारित और तीसरा अभ्यास आधारित, जिनका अधिभार 30 प्रतिशत होगा। अभ्यास आधारित के 10 प्रतिशत और सिद्धांत आधारित के 10 प्रतिशत प्रत्येक के होंगे।

(c) प्रायोगिक पाठ्यक्रम (विद्यालय में अंत:क्रिया)

प्रायोगिक पाठ्यक्रम के लिए मूल्यांकन–सतत एवं समग्र मूल्यांकन ढांचा के तीनों पक्षों को समाविष्ट करता है :

(i) विद्यालय आधारित गतिविधियों में निष्पादन का मूल्यांकन

(ii) कार्यशाला आधारित गतिविधियों में निष्पादन का मूल्यांकन

(iii) अभ्यास-शिक्षण में निष्पादन का मूल्यांकन

(i) विद्यालय आधारित गतिविधियां :

विद्यालय आधारित गतिविधियों का कुल अधिभार 100 अंक तीन भागों में विभाजित होता है :

- विद्यालय के बच्चे का घटना अध्ययन
- विद्यालय/कक्षा अभिलेख और पंजिका का रख-रखाव
- विद्यालय कार्यक्रमों में योगदान

(ii) कार्यशाला आधारित गतिविधियाँ :

प्रशिक्षु शिक्षक के लिए 2 वर्षों के कार्यक्रम में 10-10 दिनों के दो कार्यशाला आयोजित करने की योजना है। सभी प्रस्तावित कार्यशाला आधारित गतिविधियों के लिए अधिभार प्रतिवर्ष 100 अंक जिनका विभाजन निम्न है :

प्रथम वर्ष :

- भाषा, गणित, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान का पाठ-योजना तैयार करना
- तीनों विषयों को शिक्षण-अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री तैयार करना
- विषय आधारित मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो का विकास
- प्रारूप और रूपरेखा पर आधारित संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करना
- पाठ का प्रेक्षण
- प्रक्रिया मूल्यांकन में भागीदारी

द्वितीय वर्ष :

- विज्ञान/सामाजिक विज्ञान में अवधारणा मानचित्रण
- विज्ञान/सामाजिक विज्ञान का पाठ-योजना बनाना
- कला, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा पर कार्य करना
- पाठ का प्रेक्षण
- अध्ययन-गोष्ठी प्रस्तुतीकरण
- सहपाठी के पाठ का प्रेक्षण
- प्रक्रिया-मूल्यांकन में भागीदारी

(iii) अभ्यास-शिक्षण :

एक शिक्षक प्रशिक्षु के लिए चारों विषयों (भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान/सामाजिक विज्ञान) में से प्रत्येक में 10 अभ्यास पाठ देना अपेक्षित है। वह विद्यालय में एक परामर्शदाता एवं एक पर्यवेक्षक

को आवंटित होगा। परामर्शदाता प्रत्येक विषय में 7 में से कम से कम 5 पाठ का पर्यवेक्षण करेगा और पर्यवेक्षक 3 में से 2 पाठ का। इसके लिए अधिभार 200 अंक है।

एक अभ्यर्थी के पाठ-अभ्यास-शिक्षण के निष्पादन स्तर के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित कसौटी है :

- पाठ-योजना
- विषय-वस्तु की योग्यता
- शिक्षक-निर्देशन
- अधिगमकर्त्ता भागीदारी और उसका प्रबंधन
- अधिगमकर्त्ता मूल्यांकन
- विद्यालय-प्रमुख द्वारा अभ्यास-शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन

(d) प्रमाणीकरण के लिए ग्रेड का निर्धारण :

अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यचर्या के विभिन्न घटकों में प्राप्त अंकों की उपर्युक्त गणना का परिवर्तन निम्नलिखित संरचना के आधार पर पांच सोपानों के ग्रेड में होगा :

अंकों का प्रभार (प्रतिशत में)	ग्रेड
85 से 100	A
70 से 84	B
55 से 69	C
40 से 54	D
40 से नीचे	E

विद्यालय आधारित गतिविधियां, कार्यशाला आधारित गतिविधियां और शिक्षण अभ्यास में अभ्यर्थी द्वारा एक प्रयास में प्राप्त अंक ही अन्तिम अंक होंगे जबकि अलग से 50 प्रतिशत अंक अर्हक होंगे। कोर विषयों के संबंध में प्रारंभिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पढ़ाये जाने विषयों में कम से कम डी ग्रेड(40 प्रतिशत) ही अर्हक ग्रेड के रूप में मान्य होगा। डी ग्रेड से नीचे का ग्रेड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रतिवर्ष मई एवं नवम्बर में होने वाली दो वर्षों या लगातार चार परीक्षाओं में डी ग्रेड लाना अनिवार्य होगा। ग्रेड में सुधार के इच्छुक अभ्यर्थी को भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के मानदंडों के अनुसार परीक्षा शुल्क भुगतान के साथ समय सीमा के भीतर पुनः परीक्षा की अनुमति होगी।

प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र प्राप्त करने की योग्यता हेतु सैद्धांतिक एवं सत्रीय कार्य दोनों में अलग-अलग कम-से-कम D ग्रेड (40 प्रतिशत) एवं प्रयोगात्मक में 50 प्रतिशत तथा संकलित रूप से 45 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष प्राप्त करना अपेक्षित है।

D.El.Ed. कार्यक्रम के पाठ्यक्रम की मूल्यांकन योजना

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का शीर्षक	बाह्य/ पूर्णांक	उत्तीर्ण होने के लिए अंक	सत्रीय कार्य/ आंतरिक पूर्णांक	उत्तीर्ण होने के लिए अंक	सम्पूर्ण योग
	प्रथम वर्ष					
1.	भारत में प्रारंभिक शिक्षा : सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य	70	28	30	12	100
2.	प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा-शास्त्रीय प्रक्रिया	70	28	30	12	100
3.	प्रारंभिक स्तर पर भाषा का अधिगम	70	28	30	12	100
4.	प्रारंभिक स्तर पर गणित का अधिगम	70	28	30	12	100
5.	प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का अधिगम	70	28	30	12	100
6.	विद्यालय में अंत:क्रिया (a) विद्यालय आधारित गतिविधियां (b) कार्यशाला आधारित गतिविधियां	– –	– –	100 100	50 50	100 100
	पूर्ण योग	350	–	350	–	700
					संकलित 45 प्रतिशत-315 अंक	

द्वितीय वर्ष

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का शीर्षक	बाह्य/ पूर्णांक	उत्तीर्ण होने के लिए अंक	नियत कार्य/ आंतरिक पूर्णांक	उत्तीर्ण होने के लिए अंक	सम्पूर्ण योग
1.	समावेशी संदर्भ में बच्चे को समझना	70	28	30	12	100
2.	समुदाय और प्रारंभिक शिक्षा	70	28	30	12	100
3.	प्रारंभिक स्तर पर कला स्वास्थ्य व शारीरिक और कार्य शिक्षा का अधिगम	70	28	30	12	100
4.	उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान/ सामाजिक विज्ञान का अधिगम	70	28	30	12	100
5.	विद्यालय में अंत:क्रिया (a) कार्यशाला आधारित गतिविधियां (b) अभ्यास-शिक्षण	– –	– –	100 200	50 100	100 200
	सम्पूर्ण योग	280	–	420	–	700
					संकलित 45 प्रतिशत-315	
	समग्र योग	630	–	770	–	1400

टिप्पणी : 70 अंकों के बाह्य सैद्धान्तिक परीक्षा के लिए 3 घण्टे का समय स्वीकृत है।

यदि कोई प्रशिक्षु सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा देने से किसी कारणवश चूक जाता है तो वह परवर्ती परीक्षा में उपस्थित हो सकता है। यह सुविधा पंजीकरण से 3 वर्ष तक तब तक मिलती रहेगी जब तक छात्र उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम ग्रेड प्राप्त न कर लें।

18. उत्तर-पुस्तिका का पुनः परीक्षण एवं पूर्नमूल्यांकन

यदि आप किसी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और आप अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान आपको अपनी उत्तर-पुस्तिका के पुनः परीक्षण का अवसर प्रदान करता है, जिसमें अंकों को पुनः जोड़ा जाता है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कोई प्रश्न बिना मूल्यांकन के न रह गया हो। याद रखें कि पुनः परीक्षण के दौरान जवाब को पुनर्मूल्यांकित नहीं किया जाता है। परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर आप किसी भी विषय की उत्तर-पुस्तिका के पुनः परीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर-पुस्तिका के पुनः परीक्षण के लिए आवेदन सादे कागज पर या निर्धारित प्रारूप पर (जो कि **परिशिष्ट-V** एवं **VI** दिया गया है) संबद्ध अध्ययन केन्द्र के अध्ययन केंद्र समन्वयक को किया जा सकता है। आपको निर्धारित शुल्क 200 रु. प्रति विषय राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को बैंक ड्राफ्ट के रूप में अदा करना पड़ेगा जो कि सचिव, NIOS के नाम से संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय पर देय होगा। आपका आवेदन मिलने के 45 दिनों के अंदर पुनः परीक्षण का कार्य पूर्ण हो जायेगा। तथापि, उत्तर-पुस्तिका आपको या किसी अन्य को किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखायी जायेगी।

सूचना : पुनः परीक्षण एवं पुनः मूल्यांकन के बाद संशोधित (घटा या बढ़ा) अंक ही अंतिम रूप से मान्य होगा

19. परीक्षा में पुनः उपस्थिति

अभ्यर्थी को सैद्धान्तिक (बाह्य और सत्रीय कार्य) और प्रायोगिक विषय में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है और जैसा कि पहले वर्णित है प्रति वर्ष संकलित योग में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि कोई किसी विषय को या इसके भाग को पूर्ण करने में असफल होता है तो वह चार परवर्ती सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए पुनः उपस्थित हो सकता है।

किसे किसलिए सम्पर्क करें :

केंद्र/स्थान	प्रायोगिक कार्य की प्रकृति	शैक्षिक व्यक्ति
कार्य केंद्र	(a) विद्यालय आधारित गतिविधियां	प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/ वरिष्ठ अध्यापक (परामर्शदाता), पर्यवेक्षक (शिक्षक-प्रशिक्षक, BRCs, CRCs)
	(b) अभ्यास शिक्षण	प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/ वरिष्ठ अध्यापक (परामर्शदाता), पर्यवेक्षक (शिक्षक-प्रशिक्षक, BRCs, CRCs)
अध्ययन केंद्र	(a) कार्यशाला आधारित गतिविधियां	प्रयोग-उन्मुख नियतकार्य और सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम आधारित सत्रीयकार्य
	(b) पाठ्यक्रम आधारित सत्रीय कार्य	अध्ययन केंद्र समन्वयक

परिशिष्ट-I

प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम, कार्यशाला एवं शिक्षण अभ्यास की सूची

PCP (Personal Contact Programme) Sessions

Schedule (First year)

Day	Morning Session10.30 am-1.00 pm	Afternoon Session2.00 pm to 4.30 pm
1.	Inauguration & discussion on "SBA-511.1- Case Study"	Discussion on "SBA-511.2- Maintenance of School/Class records and registers"& Plenary session on course based assignments Courses-501 & 502
2.	Discussion on "SBA-511.3-Contribution to School Programme"& Plenary session on course based assignments Courses-503,504 & 505	Discussion on "501- Elementary Education in India—a socio-cultural Perspectives" units- 1 &2
3.	504-"Learning of maths at elementary level" units-1,2 &3	502-"Pedagogical Process in Elementary schools" units-1,2 &3
4.	503-"Learning of language at elementary level" units-1 & 2	504-"Learning of maths at elementary level" units-4 & 5
5.	505-"Learning of EVS at primary level" units-1 & 2	503-"Learning of language at elementary level" units-3 & 4
6.	501- "Elementary Education in India—a socio-cultural Perspectives" units- 3 &4	502-"Pedagogical Process in Elementary schools" units-4,5 &6
7.	504-"Learning of maths at elementary level" units- 6&7	503-"Learning of language at elementary level" units-5 & 6
8.	505-"Learning of EVS at primary level" units-3 & 4	502-"Pedagogical Process in Elementary schools" units-7 &8
9.	504-"Learning of maths at elementary level" units- 8&9	503-"Learning of language at elementary level" units-7 & 8
10.	501- "Elementary Education in India—a socio-cultural Perspectives" units- 5 &6	502-"Pedagogical Process in Elementary schools" units-9 &10
11.	505-"Learning of EVS at primary level" units-5 & 6	501- "Elementary Education in India—a socio-cultural Perspectives" units- 7 &8
12.	502-"Pedagogical Process in Elementary schools" units-11 &12	501- "Elementary Education in India—a socio-cultural Perspectives" units- 9 &10
13.	502-"Pedagogical Process in Elementary schools" units-13 &14	505-"Learning of EVS at primary level" units-7 & 8
14.	502-"Pedagogical Process in Elementary schools" units-15 &16	504-"Learning of maths at elementary level" units- 10, 11&12
15.	505-"Learning of EVS at primary level" units-9, 10 & 11	503-"Learning of language at elementary level" units-9 & 10 & concluding session

Note: Each session will be of 2 ½ hour Duration. The flexibility in the schedule is allowed as per the local needs.

PCP (Personal Contact Programme) Sessions

Schedule (Second year)

Day	Morning Session10.30 am-1.00 pm	Afternoon Session2.00 pm to 4.30 pm
1.	Inauguration & Plenary session on course based assignments Courses-506,507	Plenary session on course based assignments Courses-508,509 & 510
2.	507-"Community & Elementary Education" units- 1 & 2	508-"Health & Physical Education" units-6 & 7
3.	506-"Understanding children in Inclusive context" units-1 & 2	508-"Work Education" units-12 & 13
4.	507-"Community & Elementary Education" units- 3 & 4	509-" Social Science" units-1 & 2/ 510-" Learning Science" unit- 1
5.	506-"Understanding children in Inclusive context" units-3 & 4	508-"Art Education" units-1,2 & 3
6.	509-" Social Science" unit- 3 / 510-" Learning Science" unit- 2	508-"Health & Physical Education" units-8 & 9
7.	509-" Social Science" units- 4 & 5 / 510-" Learning Science" unit- 3	506-"Understanding children in Inclusive context" units-5 & 6
8.	507-"Community & Elementary Education" units- 5	508-"Art education (practical))" units 4 & 5
9.	506-"Understanding children in Inclusive context" units-7 & 8	508-"Health & Physical Education " units- 10 & 11
10.	507-"Community & Elementary Education" units- 6 & 7	508-"Work Education (Practical)" units-14,15 & 16
11.	506-"Understanding children in Inclusive context" units-9 & 10	509-" Social Science" unit- 6 / 510-" Learning Science" unit- 4
12.	506-"Understanding children in Inclusive context" units-11 & 12	507-"Community & Elementary Education" units- 8 & 9
13.	507-"Community & Elementary Education" units- 10 & 11	509-" Social Science" unit-7 / 510-" Learning Science" unit- 5
14.	506-"Understanding children in Inclusive context" unit-13	509-" Social Science" unit-8 / 510-" Learning Science" unit- 6
15.	507-"Community & Elementary Education" unit- 12	509-" Social Science" unit-9 / 510-" Learning Science" unit-7 & concluding session

Note: Each session will be of 2 ½ hour Duration. The flexibility in the schedule is allowed as per the local needs.

Schedule of a Day for PCP

Time	Activities
10.00 am	Reporting to the study centre
10.00 am-10.15 am	Making sitting arrangement
10.15am-10.30 am	Marking attendance
10.30 am -1.00 pm	First session
11.45 am – 12.00	Tea break
12.00 – 1.00 pm	Second session
1.00 pm -2.00 pm	Lunch break
3.00 pm- 3.15 pm	Tea break
2.00 pm- 4.30 pm	Third session
4.30 pm- 4.40 pm	Marking attendance

512-"WORKSHOP-I" (FIRST YEAR)

DAY	SESSION 1 10.00-11.30	SESSION 2 11.30-1.00	LUNCH 1.00 -2.00	SESSION 3 2.00-3.15	SESSION 4 3.15-4.30	SESSION5 4.30-5.00
1	Registration & Welcome Introduction, Workshop objectives	SBA 511.1 Verification of case studies taken up by the trainees		SBA 511.2 Verification of records and registers on maintenance of School/Class		**Feedback**
2	SBA 511.3 verification of activities on Contribution to School Programme			Identification of teaching/learning points from a given topic		**Feedback**
3	Process of writing general objectives and learning objectives on a given topic	Selecting a topic from EVS & writing teaching/ learning points, general objectives and learning objectives		Selecting a topic from mathematics & writing teaching/ learning points, general objectives and learning objectives		**Feedback**
4	Selecting a topic from Language & writing teaching/ learning points, general objectives and learning objectives			Selecting a topic from Science/Social Science & writing teaching/ learning points, general objectives and learning objectives		**Feedback**
5	Demonstration of lesson in Language & post lesson discussion	Demonstration of lesson in EVS & post lesson discussion		Lesson planning in Languages by the trainees		**Feedback**
6	Demonstration lesson on Mathematics & post-lesson discussion			Prepare a plan in mathematics using constructivist approach	Prepare lesson plan in EVS using constructivist approach	**Feedback**
7	Demonstration of lesson in Science/ Social Science & post lesson discussion (Parallel Session)			Demonstration of multi-grade teaching with post lesson discussion		**Feedback**
8	Prepare a small manual on the materials you will like to keep in the mathematics laboratory. Describe each material with its utility and use in the classroom	Preparation of lesson plan on multi-grade teaching		Development of blue print on Language and Mathematics with long answer, short answer and objective test items		**Feedback**
9	Development of blue print on EVS and Science/Social Science with long answer, short answer and objective test items			Preparation of Unit test based on the given blue print in any one subject area	Analysis of the question paper of the last annual exam in different subject areas	**Feedback**
10	Preparation of term-end test on a given blue print in any one subject area	Discussion on development of Portfolio for subject based evaluation		Preparation of teaching aids in four subject areas (at least two aids per trainee)		**Feedback**
11	Preparation of teaching aids in four subject areas (at least two aids per trainee)			Field visit to an identified location: Environmental/socio-economic points of learning on specified environmental issue		**Feedback**
12	Teaching aids exhibition (every trainee need to present minimum two teaching aids)			Discussion on TCMP(Teaching Competency Mapping Profile)		**Feedback & conclusion**

Note:

- Reports on SBA are to be presented by the teacher trainees for verification during the workshop-I at the study centre.
-In each post lesson discussion each teacher trainee is required to submit their observation for assessment by RP.
- In every session each trainee is going to be assessed basing on their performances by the RPs.
- Feedback session will be conducted by Workshop Coordinator and the concerned Resource Person

513-"WORKSHOP-II"(SECOND YEAR)

DAY	SESSION 1 10.00-11.30	SESSION 2 11.30-1.00	LUNCH 1.00 -2.00	SESSION 3 2.00-3.15	SESSION 4 3.15-4.30	Session 5 4.30-5.00
1	Registration inauguration & workshop objectives	Verification of lesson plans in Language delivered during Practice Teaching(PT)		Verification of lesson plans in Mathematics delivered during Practice Teaching(PT)	Verification of lesson plans in EVS delivered during Practice Teaching(PT)	**Feedback**
2	Verification of lesson plans in Science/ Social Science delivered during Practice Teaching(PT)	Orientation on Continuous Comprehension and Evaluation (CCE)		Analysis of Report on school Library activities Observation of Library activity in BRC/CRC/DIET		**Feedback**
3	Development of concept mapping in different subject areas (at least two maps in different subject need be developed by each trainee)			Planning on CCE (With reference to specific activity on CCE)		**Feedback**
4	Activity on Art education(Practical)			Activity on work education(Practical)		**Feedback**
5	Activity on physical & Health Education(Practical)			Analysis of school time table		**Feedback**
6	Analysis of Annual activity calendar			Analysis of Lesson diary/notes		**Feedback**
7	Analyzing unit test developed during PT in any one subject			Identification of support services for CWSN		**Feedback**
8	Preparation of portfolio evaluation on activities relating to Sc./ S.Sc (Parallel Session)			Plenary session on course based assignments (courses- 506 & 507)		**Feedback**
9	Plenary session on course based assignments (courses-508,509 & 510)			Seminar on corporal punishment and child right		**Feedback**
10	Seminar on professional qualities of a teacher (on the basis of experience in school system)			Local specific community mobilization process. (development of base paper in these issues in respective schools)	Analyzing specific school community partnership (development of base paper in these issues in respective schools)	**Feedback**
11	Discussion on responsibility of school teacher with respect to money, labour, resourcefulness			Discussion on responsibilities of teacher to prevent violation of rights of child within the school		**Feedback**
12	Analysis of reports on opinion of parents of first and second generation school goers			Issues on assessment and evaluation in learning Science/ Social Science in respective schools (Parallel Session)		**Feedback and conclusion**

Note:

- The lesson plans in different subjects will be produced by the teacher trainee to be verified in the first day of Workshop-II.

- In each post lesson discussion each teacher trainee is required to submit their observation for assessment by RP

- In every session each trainee is going to be assessed basing on their performances by the RPs.

- Feedback session will be conducted by Workshop Coordinator and the concerned Resource Person

514- Practice Teaching (PT)

Delivery of lesson during Practice Teaching

Name of the Subject	No. of lessons to be evaluated by Mentor	No. of lessons to be evaluated by Supervisor	Total
Language	5 out of 7	2 out of 3	10
Mathematics	5 out of 7	2 out of 3	10
Environmental Studies	5 out of 7	2 out of 3	10
Science/ Social Science	5 out of 7	2 out of 3	10
Total	20 out of 28	8 out of 12	40

(Four in multigrade/ multiple class contexts to be supervised by Supervisor)

Note: The Practice Teaching (PT) need be conducted at the beginning of the session of the second year.

परिशिष्ट-II

पाठ्यक्रम आधारित सत्रीय कार्य प्रस्तुत करने की सूची

FIRST YEAR SCHEDULE OF SUBMISSION OF COURSE BASED ASSIGNMENT

Course Code	Assignment No.	Maximum Marks	Last Date of Submission
D.El.Ed -501	501- Elementary Education in India: A Socio- Cultural Perspective (Assignment-1, 2 & 3)	30	Assign First-2nd Day of the third month from the commencement of the Programme Assign Second -3rd Day of the third month from the commencement of the Programme Assign Third -4th Day of the third month from the commencement of the Programme
D.El.Ed -502	502- Pedagogic Processes in Elementary schools (Assignment-1, 2 & 3)	30	As above
D.El.Ed -503	503- Learning Languages at Elementary Level (Assignment-1, 2 & 3)	30	As above
D.El.Ed -504	504-Learning Mathematics at Elementary Level (Assignment-1, 2 & 3)	30	As above
D.El.Ed -505	505-Learning Environmental Studies at Primary Level (Assignment-1, 2 & 3)	30	As above

SECOND YEAR SCHEDULE OF SUBMISSION OF COURSE BASED ASSIGNMENT

D.El.Ed -506	506- Understanding Children in inclusive context (Assignment-1, 2 & 3)	30	Assign First-2nd Day of the third month from the commencement of the Programme Assign Second -3rd Day of the third month from the commencement of the Programme Assign Third -4th Day of the third month from the commencement of the Programme
D.El.Ed -507	507- Community & Elementary Education (Assignment-1, 2 & 3)	30	As above
D.El.Ed -508	508- Art, Health & Physical and Work Education (Assignment-1, 2 & 3)	30	As above
D.El.Ed -509	509- Learning Social Science at Upper Primary Level (Assignment-1, 2 & 3)	30	As above
D.El.Ed -510	510- Learning Science at Upper Primary Level (Assignment-1 , 2 & 3)	30	As above

Assignment Remittance-Cum-Acknowledgement Form: Following is the acknowledgment form for submitting the Assignment to the study centre.

National Institute of Open Schooling
Assignment Remittance-Cum-Acknowledgement Form

Programme: **D.El.Ed**

Study Centre Code**:** _____

Enrolment No: | | | | | | | | | | | | |

Name:----------

Address : ----------

Course Code:----------

Assignment No.----------

Signature of the Student----------

FOR OFFICE USE ONLY

Sr. No.:_____

Signature of receiver

Date: _____

Seal

Notes: 1. Submit this form to the coordinator of your study centre along with the assignment.

2. When you submit the assignment by post, enclose a self-addressed stamped envelope along with this.

Acknowledgement form for the Evaluator

Enrolment No. | | | | | | | | | | | | Programme : **D.El.Ed.**

Study Centre Code: _____

Name: _____

Course Code: _____

S. No.	Assignment No.

For Office Use only

Sr. No. _____

Date of Receipt : _____

Name of Evaluator : _____

Date of Despatch to Evaluator: _____

Date of Receipt from Evaluator : _____

Signature of Dealing Assistant

NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING
EXAMINATION REGISTRATION FORM FOR D.El.Ed. PROGRAMME
(First Year)

Form to register for appearing Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) Examination of NIOS

[To be submitted in the Study centre]

1. Enrolment No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
2. Name in full (Block Letters) _____
3. Address _____

   _____

   Pin Code _____ Tel./ Mob. No. _____

Sl. No.	Course Code	Course Name	
		Theory	
1.	501	Elementary Education in India: A Socio- Cultural Perspective	☐
2.	502	Pedagogic Processes in Elementary Schools	☐
3.	503	Learning Languages at Elementary Level	☐
4.	504	Learning Mathematics at Elementary Level	☐
5.	505	Learning Environmental Studies at Primary Level	☐
		Practical	
6.	511	School Based Activities(SBA)	☐
7.	512	Workshop Based Activities(WBA)	☐

Note: Please Tick(✓) inside the box against the courses in which you are going to appear.

(Full Signature of the Candidate)

- The Application Forms will not be accepted after the prescribed dates.
- The students may contact their Study Centre or NIOS for information regarding their Examination Centres. If a candidate appears from an Exam Centre other than the one allotted to him/her on his/her result will be withheld.

Note:-i) Examination Form with incomplete/wrong information shall be rejected.

ii) If you miss the Term-End Examination and want to appear in the next Examination or want to re-appear in subsequent examination you need to pay Examination Fee Rs. 150/- per Theory Course and Rs. 220/- for Practical Course in the form of Demand Draft drawn in favour of Secretary, NIOS payable at NOIDA.

Certified that the candidate

a. He/she has submitted all the three assignments on time.
b. He/she has attended _____ percent of attendance in PCP session.

Signature, Coordinator,
Study Centre

RECEIPT (TO BE ISSUED TO THE STUDENT)

Received the Examination form From ..... Enrolment No. .....
for the Diploma in Elementary Education examination of National Institute of Open Schooling in the following Course Codes :

Date .....

Signature, Coordinator Study Centre
Study Centre No.

National Institute of Open Schooling
EXAMINATION REGISTRATION FORM FOR D.El.Ed. PROGRAMME
(Second Year)

Form to register for appearing Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) Examination of NIOS
[To be submitted in the Study centre]

1. Enrolment No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
2. Name in full (Block Letters) _____
3. Address _____
   _____
   Pin Code _____ Tel./ Mob. No. _____

Sl. No.	Course Code	Course Name	
Theory			
8.	506	Understanding children in inclusive context	☐
9.	507	Community& Elementary Education	☐
10.	508	Learning in Art, Health & Physical and Work Education at Elementary Level	☐
11.	509	Learning Social Science at Upper Primary Level	☐
12.	510	Learning Science at Upper Primary Level	☐
Practical			
13.	513	Workshop Based Activities(WBA)	☐
14.	514	Practice Teaching (PT)	☐

Note: Please Tick(✓) inside the box against the courses in which you are going to appear.

(Full Signature of the Candidate)

- The Application Forms will not be accepted after the prescribed dates.
- The students may contact their Study Centre or NIOS for information regarding their Examination Centres. If a candidate appears from an Exam Centre other than the one allotted to him/her on his/her result will be withheld.

Note:- i) Examination Form with incomplete/wrong information shall be rejected.
ii) If you miss the Term-End Examination and want to appear in the next Examination or want to re-appear in subsequent examination you are to pay Examination Fee Rs. 150/- per Theory Course and Rs. 220/- for Practical Course in the form of Demand Draft drawn in favour of Secretary, NIOS payable at NOIDA.

Certified that the candidate

c. He/she has submitted all the three assignments on time.
d. He/she has attended _____ percent of attendance in PCP session.

Signature, Coordinator, Study Centre

RECEIPT (TO BE ISSUED TO THE STUDENT)

Received the Examination form From ..... Enrolment No. .....
for the Diploma in Elementary Education examination of National Institute of Open Schooling in the following Course Codes :

Date ..... Signature, Coordinator

National Institute of Open Schooling

(Study Centre .....)

FORM OF APPLICATION FOR VERIFICATION (RECHECKING) OF D.EL.ED. MARKS

Demand Draft No. .....
Date .....
Name of the Bank & Place .....
.....
For Rs. .....in favour of "Secretary", National Institute of Open Schooling Payable at "NOIDA"

The Co-ordinator
(Study Centre .....)
DIET/PTTI/BRC
Govt. of Jharkhand

Sir,

I hereby apply for verification of marks of self/son/daughter/ward who appeared in examination held in (name of the examination May/November.....) in the course(s) vide particulars mentioned below:-

NAME : .....

Enrolment No. | | | | | | | | | | | |

Name of Study Centre	Course Code No.	Course(s)	Marks Obtained
Name of Exam Centre.....			

(Signature of Applicant)

I hereby undertake to accept the lower marks if the same is established on the basis of verification (rechecking) of marks.

Name .....

Tel./ Mob. No. .....

Yours faithfully,

Name/Address of the candidate
.....
.....
Pin. .....
Email Id. .....

Note: Form must be filled correctly and neatly.

RULES FOR VERIFICATION OF MARKS

(i) A candidate who has appeared at an examination conducted by the NIOS may apply to the concerned Regional Centre of the NIOS for verification of marks in any particular subject. The verification will be restricted to checking whether all answers have been evaluated and that there has been no mistake in the totaling of marks for each question in that subject and that the marks have been transferred correctly on the title page of the answer book and to the award list and whether the supplementary answer book(s) attached with the answer books mentioned by the candidate are intact. No re-valuation of the answer book or supplementary answer book(s) shall be done.

(ii) Such an application must be made by the candidate within 30 days from the date of the declaration of common results and not from the date of individual result due to correction, UFM/Mass copying decision etc.

(iii) All such applications must be accompanied by payment of fee as prescribed by the NIOS i.e. Rs.200/- per subject.

(iv) No candidate shall claim. Or be entitled to, revaluation of his/her answers or disclosure or inspection of the answer book(s) or other documents.

(v) A candidates shall not be entitled to refund of fee unless as result of the verification his/her marks are changed. The refund where permissible will be made on receipt of such request only.

(vi) In no case the verification of marks shall be done in the presence of the candidate or any one else on his/her behalf, nor will the answer books be shown to him/her to his/her representative.

(vii) The marks, on verification will be revised upward or downward, as per the actual marks obtained by the candidate in his/her answer book.

(viii) The communication regarding the revision of the marks, if any, shall be sent to the candidate within a reasonable period of time.

(ix) The NIOS will not be responsible for any loss or damage or any inconvenience caused to the candidate, consequent on the revision of marks or delay in communications for reasons beyond control.

(x) The NIOS shall revise the marks statement in respect of such candidates after the previous marks statement is returned by the candidate.

(xi) The decision of the Chairman on the result of the verification of marks shall be final.

आवेदन प्रपत्र और अंकों के पुर्नमूल्यांकन के नियम परिशिष्ट -VI

National Institute of Open Schooling

FORM OF APPLICATION FOR RE-EVALUATION OF ANSWER-SCRIPTS OF D.EL.ED. EXAMINATION

(Application should be sent by Registered/Speed Post only to the Study Centre)

Demand Draft No. .....
Date .....
Name of the Bank & Place .....
.....
For Rs. .....in favour of "Secretary" , National Institute of Open Schooling Payable at "NOIDA"

The Coordinator
(Study Centre
.....)
DIET/PTTI/BRC
Govt. of Jharkhand

Sir,

I hereby apply for re-evaluation of my answer script(s) for the examination held in May/November.....) in the course(s) mentioned below:-

Enrolment No. Name ... .
Father's Name..

Examination Centre No. _____
Name of the Exam Centre
_____

Sl. No.	Course Code	Course(s)	Marks Obtained in Theory
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

I hereby agree to agree to accept the final result based on the re-evaluation of my answer-scripts.

Yours faithfully,

(Signature of Applicant)
Name.....

Name/Address of the Applicant

..... Pin. .....
Tel/Mob. No. ..... E-mail Id. .....

Note: 1. Form must be filled in Block Letters only.
2. For rules of re-evaluation, please see overleaf.

Rules for Re-evaluation of Answer Scripts of D.El.Ed. Programme

1. Candidate who has appeared in the D.El.Ed. Examination of NIOS can apply for re-evaluation of answer scripts in Theory paper of any subject. The application for re-evaluation must be submitted in the prescribed format and sent by Registered Post/ Speed Post only to the concerned Study Centre.
2. There is no provision for re-evaluation in Practical papers.
3. Candidate must apply for re-evaluation within 15 days from the date of declaration of result on the website of NIOS, www.nios.ac.in
4. Candidate should apply for re-evaluation for one or more subject(s) through a single application. No second request for re-evaluation will be entertained by NIOS.
5. The processing fee for re-evaluation is Rs. 500/- per subject per Course and to be submitted through the bank draft drawn in favour of Secretary, NIOS payable at NOIDA.
6. Application should be made by the candidate in his/her own hand-writing and not by any one else on his/her behalf. Incomplete applications and those received after the due date will not be entertained and will summarily be rejected without any notice.
7. If the increase of marks in re-evaluation is less than 5% of the maximum marks, the original marks will stand except when the candidate is able to get a pass with or without grace, the marks of re-evaluation will be awarded to the candidate.
8. If the increase of marks on re-evaluation is 5% or more of the maximum marks the new marks will be awarded to the candidate.
9. If the marks obtained on re-evaluation are less than the original marks, the original marks will stand.
10. The communication regarding the re-evaluation result shall be sent to the candidate within a maximum period of 60 days from the date of receipt of application. It will also be posted on the NIOS website "www.nios.ac.in".
11. NIOS will revise the old mark sheet wherever applicable. Fresh mark sheet will be issued after the old mark sheet is surrendered by the candidate at the concerned Study Centre.
12. In no case the re-evaluation will be done in the presence of the candidate or anyone else on his /her behalf, nor will the answer books be shown.
13. The revised mark sheet will be issued by the concerned Regional Centre to the candidate after taking back the old mark sheet.

14. The revised result of re-evaluation will be final and binding on the candidate. No further request for re-evaluation will be entertained in the matter.
15. NIOS will not be responsible for any loss or damage or any inconvenience caused to the candidate, consequent on the revision of marks or delay in communications for reasons beyond control.
16. Any doubt about the interpretation of these rules or matter not provided herein will be resolved by Chairman, whose decision will be final and binding.